The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Vijay Pal Singh Tomar to move a Resolution urging the Government to establish a Rashtriya Kisan Aayog (National Farmers' Commission) with constitutional status, to resolve farming, marketing, and insurance-related problems being faced by farmers and ensure proper implementation of Fasal Bima Yojna for the benefit of farmers.

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: Private Members' Resolution. Resolution No. 1. माननीय आनन्द जी, इसे पहले मूव करा लें। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि:-

(i) भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जिसमें 55% से अधिक आबादी खेती में लगी हुई है;

(ii) लम्बे समय से देश के किसानों का कई तरीकों से शोषण किया गया है;

(iii) वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को उनके दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(iv) भारत में एक वर्ष में तीन फ़सलों का उत्पादन करने की क्षमता है लेकिन अभी भी किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं;

(v) यदि भारत में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं तो किसानों की अनमोल जिंदगी बचाई जा सकती है जिससे कृषि क्षेत्र में और विकास सुनिश्चित हो सकता है; और

(vi) एक किसान को बचाने का अर्थ केवल एक जीवन बचाना नहीं है अपितु इसका अर्थ कृषि और हमारी परंपरा को बचाना भी है,

[श्री विजय पाल सिंह तोमर]

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह-

(क) किसानों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए संवैधानिक दर्जे वाले एक राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना करे;

(ख) कृषि प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए किसानों को सभी नवीनतम प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के बारे में शिक्षित करे;

(ग) फसल बीमा योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करे ताकि किसान इस योजना से लाभ उठा सकें;

(घ) विश्व की नवीनतम सूचना प्राप्त करने में किसानों की मदद करने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर सभी सरकारी सेवाओं के लिए इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराए;

(ङ) यह सुनिश्चित करे कि फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदा या बेचा न जाए और इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए;

(च) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का निश्चय किया है, जब तक खेती लाभकारी नहीं हो जाती, तब तक किसानों को "किसान सम्मान निधि" के रूप में दी जा रही धनराशि को 6000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिवर्ष करे;

(छ) जैसा कि उद्योगों के संबंध में प्रचलन है, किसान के भुगतान सामर्थ्य के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज पर मिलने वाले फसल ऋण की सीमा निर्धारित करे, ताकि किसान 5 वर्ष तक अपना लेन-देन कर सकें और बैंकों द्वारा शोषण से बच सकें;

(ज) कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखे;

(झ) लघु व सीमांत किसानों, जो देश के कुल कृषकों के 85 % से भी अधिक हैं तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 92% हैं, को क्लस्टर में 'कृषक सामिति' बनाकर भंडारण एवं प्रसंस्करण की इकाई लगाने हेतु वह सभी सुविधाएं प्रदान करे जो बड़े फूड पार्क एवं कोल्ड चेन की स्थापना के लिए दी जा रही हैं ताकि भंडारण एवं प्रसंस्करण में किसानों की भागीदारी हो तथा उनकी आय को बढ़ाने में सहायता मिल सके; और

(ञ) समाज में किसानों के योगदान को देखते हुए किसानों को 'भारत रत्न' जैसे पुरस्कार देने पर विचार करे।"

माननीय उपसभापति महोदय, मैं किसान और कृषि के संकट विषय पर अपना प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं। इस देश में 55 फीसदी से अधिक किसान अभी भी खेती से और 45 फीसदी कृषि के allied sector से जुड़े हैं। कुल 70 फीसदी लोग आज किसी न किसी तरह कृषि से संबंध रखते हैं, लेकिन इतने समय के बाद भी यहां का किसान आज संकट में है। वर्तमान सरकार ने आने के बाद बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाईं, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज भी किसान का शोषण हो रहा है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी भी उन्हें सहायता की आवश्यकता है। हमारा किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है, इस देश का अन्नदाता है। जब श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने "जय जवान, जय किसान" का नारा देकर किसानों का आह्वान किया था, क्योंकि देश में खाद्यान्न की कमी थी। उस समय किसानों ने मेहनत करके देश के खाद्यान्न भंडारों को भर दिया था।

मान्यवर, आज किसान अन्न तो पैदा करता है, लेकिन उसके पास रखने की जगह नहीं है। देश की आजादी के आज 70 साल हो गए। पिछले समय में ब्रिटेन के Institute of Mechanical Engineering ने एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, जिसके अनुसार हमारा 2 करोड़ टन अन्न हर साल खराब हो जाता है। आस्ट्रेलिया जितना अन्न साल भर में पैदा करता है,उतना हमारे यहां खराब हो जाता है। जितना अन्न ब्रिटेन के लोग एक साल में खाते हैं, उतना यहां खराब हो जाता है। भंडारण की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण करीब 19 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। यदि global hunger index देखें, तो हम दुनिया में 103वें नम्बर पर हैं। जहां 60 हजार करोड़ रुपए हम मनरेगा में दे रहे हैं, उसमें से ग्राम पंचायत स्तर पर 100 प्रतिशत अनुदान देकर कृषक समितियों के जरिए भंडारण की व्यवस्था कर दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और connectivity की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक किसान का कल्याण नहीं हो सकता। भंडारण के साथ-साथ processing के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने 42 मेगा फूड पार्क्स को मंजूरी दी है, लेकिन मेरठ में एक ब्लॉक प्रमुख ने चिप्स का प्लांट लगाया। जब 3-4 रुपए किलो आलू रहा था, तब भी वे 28 रुपए किलो आलू खरीद रहे थे। यदि ऐसी व्यवस्था निचले स्तर पर हो और किसानों को कृषक समिति बनाकर ये सब ऐसी सुविधाएं दी जाएं, वैसे सरकार ने कहा है कि कृषि उत्पाद पर आधारित जो उद्योग लगेंगे, उन पर 100 प्रतिशत FDI allow की गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे किसानों को रोज़गार भी मिलेगा और पक्का माल बनेगा, लेकिन क्या निचले स्तर पर ये सब सुविधाएं कृषक समितियों को दी जा सकती हैं - चाहे भंडारण की हों, processing की हों या मार्केटिंग की हों। मार्केटिंग के मामले में, जब हमारी एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, इसकी चिन्ता की गई थी, क्योंकि बिचौलिए लूट करते थे। 585 मंडियों को e-trading या e-नाम से जोड़ने

[श्री विजय पाल सिंह तोमर]

का काम किया गया। उनका common platform बनाया गया। कुल 184 मंडियों में online बोलियां शुरू हो गई हैं - उत्तर प्रदेश में 48 और राजस्थान में 25 में से 20 पर यह काम शुरु हुआ है। लेकिन अभी भी बिचौलियों की लूट से किसान को बचाया नहीं जा रहा है। किसान खड़ा देखता रहता है। किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन उसके लिए न भंडारण की व्यवस्था है, न मार्केटिंग की सही व्यवस्था है और न ही प्रोसेसिंग की सही व्यवस्था है। मैंने दूसरे देशों में देखा है, हम जिस पराली को जला रहे हैं, जिस जड़ को जला रहे हैं, वहां उससे इथनॉल निकालने का काम किया जा रहा है। जो after harvesting loss होता है, एक सर्वे के अनुसार 45 से 22 परसेंट तक हार्वेस्टिंग लॉस होता है। इसको मीट-आउट किया जा सकता है।

महोदय, बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं, अगर इजाजत हो, तो मैं उनके बारे में अभी बताऊं या फिर जैसी आपकी अनुमति हो।

श्री उपसभापति: अंत में आपको बोलने का सबसे अधिक मौका मिलेगा, इसलिए कृपया अभी आप पूरा करें।

श्री विजय पाल सिंह तोमर: सर, मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

मान्यवर, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है। 2024 तक अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाना है। यह बहुत अच्छा है और देश की सारी जनता चाहती है और उनका प्रयास भी है, लेकिन इतिहास बता रहा है कि जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक राष्ट्र को इस अवस्था में लाना संभव नहीं है। यही एक सबसे बड़ा उद्योग है, रोजगार के लिए भी यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। मैंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया था। उन्होंने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत, किसान, खलिहान के बीच से होकर गुजरता है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या राम मनोहर लोहिया हों, सबने यह कहा था, लेकिन हुआ क्या? वैसे तो देश प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहलाता था, क्यों कहलाता था? यह इसलिए कहलाता था, क्योंकि देश में कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग था, 80 परसेंट लोग खेती से जुड़े हुए थे। यहां पर विदेशी आक्रमण इसलिए हुए थे, क्योंकि यह आर्थिक रूप से नंबर एक देश था। 1750 तक भी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25 प्रतिशत था।

मान्यवर, जब देश आज़ाद हुआ था, तब भी हमारे देश में 75 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए थे और 82 प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे। उस समय भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 5.8 फीसदी था। आखिर इतने सालों बाद, सत्ता चाहे जिसकी भी रही हो, क्या हुआ? वे महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल

उपाध्याय, आदि के द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, जिसके कारण गांवों से उद्योग खत्म हो गए। जो छोटे, कुटीर और लघु उद्योग होते थे, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं किया गया, जिसके कारण आज वे नहीं रहे।

मान्यवर, कृषि को, किसान को बजट का उनका हिस्सा नहीं दिया गया, इसलिए यह परिस्थिति हुई। हमने 2014-15 में मालूम किया, तो पता चला कि 3 करोड़, 70 लाख किसान 2005 से 2012 के बीच में खेती छोड़ कर चले गए। यह सर्वे ब्रिटेन की संस्था ने किया। वे क्यों छोड़ कर चले गए? कोई खुशी से नहीं छोड़ता, बल्कि यह घाटे का सौदा होता रहा। यहां कृषि मंत्रालय में एक बैठक थी, तो मैंने मालूम किया कि किसान की औसत आमदनी कया है? उन्होंने कहा कि किसान की औसत आमदनी 20 हजार रुपए सालाना है। इसमें 10 परसेंट वे किसान भी हैं, जिन्होंने 54 फीसदी जमीन पर कब्जा कर रखा है। लघु और सीमांत किसान उत्तर प्रदेश में 92 फीसदी हैं, देश में लगभग 86 फीसदी हैं, इनकी औसत आमदनी क्या है? तब उन्होंने बताया कि इनकी औसत आमदनी 6,324 रुपए सालाना है यानी 527 रुपए महीना। किसान के यहां एक मजदूर काम करने आता है, तो वह 500 रुपए रोज से कम नहीं लेता है। इस तरह से आज किसान मजदूर से भी नीचे आ गया। किसानी जो देश का सबसे सम्मानित पेशा था, आज उसकी यह स्थिति हो गई है। इसके लिए कौन दोषी है? क्या नीतियां रहीं? किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन भंडारण की जगह नहीं है। इसके कारण 25 से 30 परसेंट अन्न सड़ जाता है। इतने लंबे समय में 55 फीसदी जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, आज भी 52 फीसदी जमीन में सिंचाई के साधन नहीं हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने इस पर काम शुरू किया है। 99 प्रोजेक्ट्स में से 12 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं और 34 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। बारिश की पानी को रोक कर, कृषक समिति बना कर, तालाबों से ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाए, क्योंकि आज जल एक बड़ी समस्या है। आज जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इस पर मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन क्या यह पहले नहीं हो सकता था? न उसकी सिंचाई की चिंता की गई, न उनके भंडारण की चिंता की गई, न उनकी प्रोसेसिंग की चिंता की गई, न उनकी सुरक्षा की चिंता है, न उनके स्वास्थ्य की चिंता है। आखिर किसान करे तो क्या करे? इसीलिए किसान या तो आत्महत्या कर रहा था या खेती को छोड़ कर भाग रहा था।

मान्यवर, मैं जिस इलाके से आता हूँ, वहां पर गन्ने की बड़ी भारी समस्या थी। हमारे नागर साहब ने भी एक दिन इस विषय को उठाया था। 2014-15 में मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था।

उपसभापति महोदय, उस समय मैंने भी गन्ना आयुक्त के यहाँ तालाबंदी कराई थी, क्योंकि दो-तीन साल तक गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही थी। उस समय सन् 2013 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। मान्यवर, जिसने चीनी को decontrol किया था, यह सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार में भी किया गया था। उस समय दो और तीन रुपए क्विंटल गन्ना बिका

[श्री विजय पाल सिंह तोमर]

था। चौधरी साहब भी किसान को बचा नहीं सके थे। तब बी.डी. महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, उसने रिपोर्ट दी थी कि इससे किसान और उपभोक्ता दोनों का नुकसान होता है। वर्ष 2013 में यूपीए सरकार ने फिर decontrol किया और 40 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर ब्राज़ील से आयात कर ली। इसमें नियम ये था कि इसे within three months में refine करके वापस करना था, इसे देश में ही डेढ़ साल तक खपा दिया। उसका परिणाम यह हुआ, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब 23 रुपए किलो चीनी का रेट था, वह 2300 रुपए क्विंटल आ गया। मिल वालों ने चाबी फेंक दी। उन्होंने कहा कि हम मिल नहीं चला सकते, हम नुकसान में हैं। हम यह माननीय प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में लाए। यह जून, 2015 की बात है। किसानों को पहले भी UPA के समय पैकेज मिले थे, मिल वालों को पैसा जाता था, वे उसे और जगह लगा लेते थे, किसान के खाते में पैसा नहीं जाता था। पहली बार 6,000 करोड़ दिया गया, जो सीधा किसानों के खाते में गया, चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10 परसेंट से बढ़ाकर तुरंत 50 परसेंट कर दी गई और एक्सपोर्ट के लिए incentive देना शुरू कर दिया। मान्यवर, मुझे ध्यान है कि पिछले साल जून के महीने में साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, क्योंकि चीनी उस साल भी ज्यादा थी और सिर्फ पैकेज ही नहीं दिया, 30 लाख मीट्रिक टन का buffer stock भी बनाया, 20 लाख मीट्रिक टन को निर्यात करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,540 रुपए का नुकसान उठाया और बफर स्टॉक के लिए 1,170 करोड़ रुपए दिए। साढ़े चार हजार कर ethanol का infrastructure तैयार करने के लिए दिए। इसका स्थायी समाधान करना था। यह 50 साल पुरानी माँग थी। गन्ने के रस से सीधा ethanol बने, इसकी कभी किसी ने चिंता ही नहीं की। Ethanol के लिए रेट भी 59 रुपए 15 पैसे निर्धारित किए गए। एकदम 25 प्रतिशत रेट बढ़ा दिए। मैं इसके लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये समाधान पहले नहीं हो सकते थे? आज जो घरेलू बाजार हैं, घरेलू बाजार में 3,100 रुपए क्विंटल से कम चीनी नहीं बिकेगी, ऐसा mechanism हमारी वर्तमान सरकार ने कर दिया। यह पहले भी होना चाहिए था। यूपीए के समय चीनी 2,300 रुपए क्विंटल में जा रही थी, किसान लुट रहा था।

सर, वर्तमान सरकार ने पिछले साल एमएसपी, लागत का डेढ़ गुना घोषित किया। 300 रुपए से लेकर, राम तिल में तो 1,827 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। इस साल भी बढ़ोतरी हुई है। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। एमएसपी चाहे डबल हो जाए, लेकिन अगर किसान की बाजार में सही रेट पर खरीद नहीं होती, तो किसान को लाभ मिलने वाला नहीं है। कोई ऐसा mechanism तैयार हो कि घरेलू बाजार में भी इससे नीचे खरीद नहीं होनी चाहिए, ताकि किसान को पता हो कि मैं जो पैदा कर रहा हूँ, तो इसकी खरीद इससे नीचे नहीं होगी। सिर्फ कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है। यह न देने वालों को encourage करने वाला है।

किसान सम्मान निधि वाला बहुत अच्छा स्टेप है। देश का 42 फीसदी टैक्स प्रदेशों में जाता है, 58 फीसदी केंद्र में आता है, पहले स्टेट्स में 32 फीसदी पहुंचता था। हमने राज्यों से भी कहा है कि वे भी हर किसान को छः हजार रुपए दें। हरियाणा और झारखंड में दिया ही जा रहा है। केंद्र सरकार से भी मैं यही चाहता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि ये 10 हजार रुपए होने चाहिए।

मान्यवर, किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण मिलता है, किसान को ब्याज में छूट मिलती है। अगर 31 मार्च तक जमा कर दिया, तो छूट मिलती है और एक अप्रैल हो गया, तो छूट नहीं है। फिर पूरा interest देना होगा, कोई छूट नहीं होगी। मैंने एक बैठक में कहा था कि जिस तरह उद्योग की लिमिट होती है, किसान की भी लिमिट हो। हैसियत के अनुसार आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, जिससे किसान लेन-देन करता रहे। जब 1 अप्रैल आता है और किसान के पास पैसा नहीं होता है, तब वहाँ बैंक वाले कहते हैं कि लाइए, हम आपका 31 को जमा दिखा देंगे और पहली में निकला भी दिखा देंगे। ऐसे में किसानों का शोषण होता है। किसान को भी उसी चार परसेंट ब्याज पर लगातार पाँच साल तक लेन-देन करना होगा, इसमें क्या दिक्कत है? यह एक बड़ी भारी समस्या है। इसकी भी चिंता की जानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि वर्तमान सरकार ने बजट में यह बढ़ाने का काम किया है। जो ऋण में छूट देने की बात है, उसे 14 हजार करोड़ से बढ़ाकर 18 हजार करोड़ से ऊपर ले गए हैं, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, जो आम किसानों को परेशान करने वाला है। किसान मजबूरी में कर्ज लेता है। किसान मजबूरी में 10-10 हज़ार रुपये कर्ज लेता था और उसकी जमीन बिक जाती थी। ऐसी स्थिति में श्रद्धेय अटल जी की सरकार के टाइम पर यह आया था, एक मीटिंग में ज्वाइंट सेक्रेटरी (फाइनेंस) ने हमसे कहा कि यह तो crop loan है, crop loan में तो crop आने के बाद 31 मार्च तक जमा करना होगा, इसमें छूट नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि सरकार ने ही तो crop loan बनाया है, उसमें से 'crop' शब्द को हटा दीजिए! जैसे, अन्य ऋण दिए जाते हैं, उसी तरह से किसान का ऋण है। उसकी लेन-देन वह करता रहे, उससे चार परसेंट का ब्याज लिया जाए, उससे ज्यादा ब्याज नहीं बढ़ाया जाए।

मान्यवर, करीब साढ़े 17 करोड़ से ज्यादा लोगों तक Soil Health Card पहुँच गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि जमीन पर जिस स्तर का काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसका फायदा बहुत है। Soil Health Card और Neem-coated यूरिया, इन दोनों का बहुत फायदा है। यह Neem-coated यूरिया का प्रभाव है कि 10 परसेंट लागत घटी है और 6 परसेंट तक पैदावार बढ़ी है। इसलिए, यदि Soil Health Card के माध्यम से मिट्टी की सही तरीके से जाँच हो जाती है, तो हम जो 40 किलो प्रति बीघा नाइट्रोजन या यूरिया डाल रहे हैं, वह केवल 5-7 किलो ही डालनी पड़ेगी। जिस तरह से जब कोई आदमी अपना शुगर टैस्ट कराने जाता है, तो उसे

[श्री विजय पाल सिंह तोमर]

10 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है, उसी तरह क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी किसान मिट्टी को टैस्ट कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लेकर न जाए, बल्कि उसके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि निचले स्तर पर ऐसे moveable labs हों, जिन्हें मोटरसाइकिल पर ही ले जाकर किसान की मिट्टी का टैस्ट कर दिया जाए? इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक कार्यकर्ता को trained किया जाए और यह तय कर दिया जाए कि वह हर गाँव में किस-किस तारीख को आएगा, ताकि किसान अपनी मिट्टी का टैस्ट करा लें। यह एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि जरूरत किसी और चीज़ की है और किसान कुछ और डाल रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह सिंचाई की बात आती है। सिंचाई के क्षेत्र में जल ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में अकबर के नवरत्नों में से एक, रहीम ने कहा था:

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।"

पानी की महिमा बड़ी भारी है, लेकिन आज पानी का बहुत ज्यादा wastage हो रहा है। हमारा गन्ने का इलाका है और हम देखते हैं कि वहाँ हम एक महाला पानी भरते हैं। जो ड्रिप सिस्टम लाया गया है, उसको encourage करने के लिए, इसके लिए लोगों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी की भी बचत होगी और पैदावार भी बढ़ेगी। इस तरह की योजना होनी चाहिए, जिसके लिए लोगों को निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर मानसिक रूप से तैयार किया जाए। हम देखते हैं कि सारा दिन submersible चलता रहता है और उससे भैंस आदि को नहलाते हैं। उसको कोई देखने वाला नहीं है, जबकि underground water खत्म हो रहा है। इसलिए इस पर भी चिन्ता की जानी चाहिए।

मान्यवर, अब मैं agricultural implements पर GST की बात करता हूँ मेरा यह कहना है कि जब हम कृषि की लागत घटा रहे हैं, तो उस पर केवल ज़ीरो परसेंट तक ही जीएसटी होना चाहिए, नहीं तो किसी भी agricultural implements पर maximum 5 परसेंट से ज्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। यह एक आवश्यक चीज़ है। अभी हमारे सामने कृषि सिंचाई योजना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, ये दो बड़े मुद्दे हैं। मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, इसने प्राकृतिक आपदाओं में पहले जो 50 परसेंट नुकसान होने पर मुआवजा मिलता था, उसको अब 33 परसेंट नुकसान होने पर ही डेढ़ गुना मुआवजा देना तय किया है। यह सरकार "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" भी लाई है, जिसमें pre-sowing और post-harvesting को भी शामिल किया गया है, जिसकी दरें डेढ़, दो तथा पाँच परसेंट है। यह रबी में डेढ़ परसेंट है, खरीफ में दो परसेंट है

तथा जायद में पाँच परसेंट है। इसमें स्टेट नोटिफाई करती है और वही यह देखती है कि किस जिले को करना है और कौन-सी फसलों को करना है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही यह लागू हुई, तो तमाम किसानों का पैसा गन्ने पर कटना शुरू हो गया। गन्ने में तो जोखिम नहीं है, उस फसल को नहीं करना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ने उसको नोटिफाईड कर दिया, जिसके बाद सब किसान शोर मचाने लगे। वे हमारे पास भी आए, क्योंकि तब मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उन्होंने हमसे कहा- साहब, हमारा तो पैसा कट रहा है, हमने तो बीमा नहीं कराया। इसलिए योजना ऐसी हो, जो ऐच्छिक होनी चाहिए। जिनमें जोखिम नहीं है और यदि किसान ने एक लाख रुपये, 50 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये KCC पर ले लिया, तो वह अनिवार्य हो जाता है, उसका पैसा अनिवार्य रूप से कटने लगता है। यह केन्द्र का नहीं, बल्कि स्टेट्स का विषय है कि वे किन फसलों को इसके तहत नोटिफाई करते हैं। लेकिन, इनके लिए कोई न कोई ऐसी योजना होनी चाहिए, जिसमें यदि कोई किसान नहीं चाहता, तो उनसे उनका पैसा न वसूला जाए।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के साथ-साथ एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के साथ-साथ उन्होंने करीब 40 हज़ार करोड़ रुपये का कॉर्पस फण्ड नाबार्ड में बनाने का काम किया है और जब तक सिंचाई के क्षेत्र में यह नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, किसान के लिए...ऐसा है कि बिना पानी के और बिना सिंचाई के किसान का उद्धार होने वाला नहीं है, इसीलिए पिछले साल प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में पिछले साल जो बजट दिया गया था, उसमें बढ़ोतरी की गई है। मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि कृषि का जो बजट है, पिछले साल 63,818 करोड़ रुपये का रखा गया था, बाद में बढ़ाकर इन्होंने 86,602 करोड़ किया, लेकिन इस साल 1,51,518 करोड़ दिया है, जिसके लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्र में इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी कृषि के बजट में नहीं हुई। 25 हज़ार करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो किसान का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मान्यवर, सवा लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 80 हज़ार करोड़ रुपया बजट में दिया गया है, मकानों के लिए वर्ष 2022 तक गाँवों में और 1 लाख, 95 हज़ार मकान निर्माण करने का लक्ष्य आगे निर्धारित किया गया है। मान्यवर, सवा लाख किलोमीटर सड़क बनाने हेतु और 80 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी वर्ष 2018-19 के मुकाबले करीब 19 हज़ार करोड़ रुपये किया है, जो पहले 15,500 करोड़ रुपये था। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, डिजिटल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, ये भी गाँव से जुड़ें। मैंने आपको प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि के बारे में बता दिया है। फसल बीमा योजना का 13,900 करोड़

[श्री विजय पाल सिंह तोमर]

रुपये से बढ़ाकर 14 हज़ार करोड़ रुपये किया है। देश की मंडियों के बारे में बात हो गई।

महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए, कृषि कचरे को ऊर्जा में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया गया है, यह बहुत अच्छा काम है। साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन में किसान क्रेडिट कार्ड की सरकार ने सुविधा दी है, उसे यूज किया जाएगा। मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, किसान की आमदनी अभी भी इस लायक नहीं है कि वह अपना खर्च चला सके। मैंने देखा कि जब ये वर्ष 2015 में आए थे, उसके बाद से अब तक वर्तमान में कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में करीब 14.4 फीसदी है। कृषि विकास दर 2.9 फीसदी है। यह देश समृद्धशाली तब ही बनेगा, जब किसान समृद्धशाली बनेगा। लम्बे समय तक किसानों के साथ ज्यादती हुई है, जिसका भी राज रहा हो, 55 फीसदी ज़मीन पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। बारिश हुई, कर्ज लिया, बीज डाल दिया और धान की रोपाई कर दी, फिर पता लगा कि बारिश नहीं हुई तो वह भी चला गया, जिसके कारण आत्महत्या की गई या वह खेती छोड़कर भाग गया। किसी ने कहा है

"कभी खुद पर, कभी हालात पर रोना आया,
बात निकली तो हर इक बात पर रोना आया।"

किसान की हालत इस तरह हो गई कि उनको सड़के चाहिए, 24 घण्टे बिजली चाहिए, भंडारण चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं

'जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई'

यह चौधरी चरण सिंह कहा करते थे।

महोदय, मैं एक सेकण्ड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं वर्ष 1980 का चुनाव लड़ रहा था, गढ़मुक्तेश्वर से चुनाव लड़ रहा था, चौ. साहब पूर्वांचल से आए थे, हापुड़ में लोगों से पूछा कि कल दूसरी पार्टी के नेता आए थे, वे क्या कह गए? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वे बोले कि कह गए हैं कि गुड़ महंगा है तो, गुड़ बोओ, गन्ना क्यों बोते हो? जिनको इतनी जानकारी नहीं, वे अब किसान आन्दोलन चला रहे हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, किसान आयोग ऐसा हो, जिसको संवैधानिक दर्जा मिले, किसान आयोग तो पहले भी बने हैं। एक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आयी, वह भी लम्बे समय तक बस्ते में पड़ी थी, जिसको पिछले साल लागू किया गया है। ऐसा किसान आयोग बने, जिसके पीछे constitutional ताकत हो, ताकि किसानों की समस्याओं से निपटा जा सके, धन्यवाद।

The question was proposed.

श्री उपसभापति: माननीय सुखेन्दु शेखर राय जी को कुछ आवश्यक काम से जाना है। यदि आप सब की अनुमति हो, तो इस विषय पर पहले उनको बोलने का मौका दें।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I am grateful to the hon. Members.

सर, यह Resolution श्री विजय पाल सिंह तोमर जी ने मूव किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने जो-जो मुद्दे उठाए हैं। मेरे नज़रिए से सभी मुद्दे, अहम मुद्दे हैं और मैं सिर्फ एक बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने यहां farmers' suicide के बारे में बोला है, लेकिन एक समस्या बहुत दिनों से यहां शुरू हो गई है कि धनवान, गरीब किसानों की ज़मीन छीन रहे हैं और इसके चलते clashes हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है। हालांकि हमारे संविधान की धारा 21 में 'Protection of Life and Personal Liberty' में निश्चित किया गया और यहां तक केंद्रीय सरकार ने National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes का गठन किया और यह Central Act भी है -- Prevention of Atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. अभी हाल में जो देखा, हमारे देश के किसी प्रांत में दो दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, दस आदिवासी किसानों की हत्या की गई है। उनमें से सात पुरुष और तीन महिलाएं हैं और पता चलता है कि जो उस गांव का धनवान है, उसने 200 ट्रक्स में गुंडों को भरा, armed goons हायर किए और उन्होंने बेपरवाह गोली चलाई, indiscriminately fire किया और उसके चलते उसी जगह पर दस आदिवासी किसानों का निधन हो गया और इक्कीस अभी भी अस्पताल में जिदंगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ सोच होनी चाहिए। सदन को इस बारे में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसी कि तोमर जी ने उठाई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं, उनके बारे में तो सोचना ही चाहिए, लेकिन यह बीच-बीच में जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम जैसे कि हमारे राज्य में कुछ हत्याएं हुई हैं और एक महीने के अंदर Article 355 के अंतर्गत चार एडवाइज़री भेजी गईं, तो कम से कम एक एडवाइज़री तो उस राज्य में जाए, जहां परसों यह घटना घटी है या फिर आदरणीय गृह मंत्री जी इस सदन में आकर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इसके बारे में क्या कदम उठाया है? नेशनल कमीशन ने क्या कदम उठाया है? राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है? बाकी परिस्थिति कया है, हालात क्या है? वहां ऐसा क्यों हुआ? एक बयान तो दें। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सर, तोमर जी जो महत्वपूर्ण बिल लाए हैं, उस पर मुझे बोलने का मौका मिला है। भारत कृषि प्रधान देश है। जो भी नियम-कानून बनते हैं, किसानों के लिए बनने चाहिए न कि उद्योगपतियों के लिए। तोमर जी ने जो बात कही, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूंगी, मैं अपने विचार सदन में रखूंगी। सभी राज्यों में, देश

3.00 P.M.

[श्रीमती छाया वर्मा]

में अंधाधुंध औद्योगीकरण हुआ है, जिससे खेती योग्य भूमि कम होती गई और जो बड़े - बड़े उद्योगपति थे, वे कृषि भूमि पर कब्जा करते गए और हमारी कृषि योग्य भूमि सभी राज्यों में कम होती गई, यह बहुत चिंता का विषय है और इसमें सरकार को नियम बनाना चाहिए कि कृषि भूमि उद्योगपतियों को न दें, तभी हमारे किसान सिचिंत होंगे, तभी हमारे किसान खुशहाल होंगे। सरकार कहती है कि फसल की कीमत दुगुनी करेंगे और यह बजट में भी आया है। कैसे दुगुनी करेंगे? उसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप तो आए-दिन पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ा देते हैं। कृषि में जो औज़ार उपयोग में आते हैं, उनकी कीमत आपने दुगुनी कर दी है, रासायनिक खाद की कीमत महंगी कर दी है। जिस समय किसानों को रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है, उस समय वह मिलती नहीं है।

उस समय खाद की काला -बाज़ारी होती है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार राशन कार्ड पर कम कीमत पर डीज़ल और पेट्रोल उपलब्ध कराएगी क?योंकि तभी किसान खुशहाल होंगे, नहीं तो महंगी कीमत पर किसान की फसल दोगुनी हो ही नहीं सकती। आप किस किसान की फसल दोगुनी करने की बात कर रहे हैं - क्या भूमिहीन किसान की, मंझोले किसान की या बड़े किसान की? किस किसान की फसल दोगुनी होगी, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। किसानों की फसल बीमा योजना के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि आपकी जो फसल बीमा योजना है, वह राफेल घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। एक पत्रकार हैं - साईनाथ, जिनका कहना है कि किसानों की फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों ने जो पैसा जमा किया, वह 66 हज़ार करोड़ रहा। आपने हर जिले को 173 करोड़ रुपए किसानों को देने के लिए उपलब्ध कराए, जब कि बीमा कम्पनियों से केवल 30 करोड़ रुपए ही किसानों को मिल पाए तो 143 करोड़ रुपए फसल बीमा करने वाले बीमा एजेंटों के पास, बैंकों के पास, अडाणी के पास जमा रहे - जो किसानों का पैसा था। तो आपकी फसल बीमा योजना पूरी तरह से failure योजना है, यह किसानों के लिए बहुत घातक योजना है। किसान जब बीमा कराने जाते हैं तो वे इस बात को सही तरीके से समझ नहीं पाए। "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि" के अंतर्गत आपने 6,000 रुपए देने का वायदा किया, जिसके अंतर्गत 2,000 रुपए की पहली किश्त 3 करोड़, 36 लाख किसानों को मिली, लेकिन आपने दूसरी किश्त में उसे कम करके 2 करोड़ 96 लाख कर दिया और 2,70,000 हज़ार किसानों को बैंक ब्यौरे और ज़मीन ब्यौरे में विसंगति के कारण न तो पहली किश्त मिल पायी और न ही दूसरी किश्त मिल पायी। किसानों की दशा और दिशा सुधारने का कोई नामो-निशान आपकी योजना में दिखायी नहीं देता। किसान हताश हैं, निराश हैं, उन्हें इस योजना का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी सरकार बनी है। मैं वहां की एक योजना बताना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि सभी लोग इस बात को सुनें और सरकार को भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में हमारे मुख्य मंत्री जी एक योजना लाए हैं, जिसका नाम है - 'नरवा, घुरवा, गरवा बारी, एला बचाना हे संगवारी'। 'नरवा' मतलब नाला, नाले में छोटे-छोटे stop dam बनाने पानी संचित होगा और उस पानी को किसानों को देंगे। 'घुरवा' मतलब गोबर और घर के दूसरे कचरे को एक जगह संचित करके उससे compost खाद बनाकर उसे खेती में उपयोग किया जाएगा - यह 'घुरवा' हुआ। 'गरवा' मतलब गोठान। अभी कल ही हमारे माननीय सांसद गाय के बारे में बता रहे थे कि गाय पूरी फसल को चर जाती है। इसके लिए हमारी सरकार ने गोठान उपलब्ध कराए हैं और वह हर ग्राम पंचायत में गोठान बना रही है। होता क्या है कि हम फसल बचाने के लिए खेत को कांटों की तार से घेरते हैं, लेकिन अगर हम गांव में गोठान बनाकर गाय को एक जगह संरक्षित करें तो उससे फायदा होगा। महोदय, धान की harvester से कटिंग होती है, मनरेगा के माध्यम से उस पैरा को, जो पैरा हम खेत में छोड़ देते हैं, उस पैरा को गाय के चरने के लिए, गाय के खाने के लिए वहां पर रखें और उस गोठान में पानी की व्यवस्था कराएं, जिससे गाय को एक जगह रखकर बहुत अच्छी compost खाद बन सकती है, ऐसा करके हम गाय को संरक्षित कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। जब मनरेगा के माध्यम से यह काम होगा तो हर ग्राम पंचायत के चार-पांच से लेकर आठ-दस लड़कों को मज़दूरी मिलेगी, काम मिलेगा - यह 'गुरवा' हुआ। चौथा है, 'बाड़ी' - 'बाड़ी' का मतलब kitchen garden नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है - चाहे वह सड़क चौड़ीकरण के नाम से हो, चाहे उद्योग लगाने के नाम से हो या अन्य कारण से हो - आज हमारे पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में इतने अधिक जंगलों की कटाई हुई कि अब जंगली जानवर हमारे घरों में आ रहे हैं - हाथी आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं - हमने जंगल काटकर उनका घर उजाड़ दिया तो अब वे हमारे घरों में आ रहे हैं। जो भी गांव की खाली जगह है, छोटी-छोटी जगह है, उसमें हमारी सरकार सब्जी-भाजी के बीज और दूसरे खाद्य पदार्थों के बीज छिड़क रही है। उससे जंगली जानवर चाहे वह भालू हो, चाहे वह बंदर हो, चाहे वह हाथी हो, वे उस स्थान में ही रहेंगे। वे हमारे गांव में घुसकर हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यह नरवा, घुरवा, गरवा और बाड़ी एक योजना है और अगर आप चाहें तो इसको मैं और विस्तार से लिखित रूप में भी दे सकती हूं। हमारी सरकार ने एक क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये रखा है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। सही मायने में अगर आप किसानों का हित चाहते हैं और किसानों के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आपको धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाना होगा। किसानों के लिए कृषि ही उनकी शक्ति है, कृषि ही उनकी भक्ति है, कृषि ही उनका निद्रा है और कृषि ही उनका जागरण है। किसान पूरे दिन, पूरे समय,

[श्रीमती छाया वर्मा]

पूरी उम्र खेती में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर उसके साथ अन्याय होगा, उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, तो यह पूरी बेईमानी होगी। जब देश का किसान खुशहाल होगा, तो सब चीज़ें समृद्ध होगीं, देश समृद्ध होगा, व्यापार फलेगा-फूलेगा, उद्योग फलेगा-फूलेगा, क्योंकि वहीं से तो हमें पैसा मिलता है। अगर किसान को आप दुखी रखेंगे, तो हमारा देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। एक कहावत है -

"का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूकि पुनि का पछिताने'।

आपको समय मिला है, आप समय का उपयोग करिए। आप किसानों को खुशहाल बनाइए। किसान खुशहाल रहेंगे, तभी हमारा देश खुशहाल रहेगा और हम सब समृद्ध रहेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिंद!

श्री उपसभापति: धन्यवाद, छाया जी। श्री हरनाथ सिंह यादव जी।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मेरा सदन में प्रथम भाषण है, इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि आप मुझे पूरा-पूरा संरक्षण दें। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरी मदद करें।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र, अपने छोटे भाई आदरणीय श्री विजय पाल सिंह तोमर को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उन्हें बधाई इसलिए दे रहा हूं कि यथार्थ में किसान का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसकी जो समस्या है, उसका बहुत गहन चिंतन करके, उन्होंने बहुत सुयोग्य रीति से, एक-एक बिंदु को रखा है। मैं उनके प्रत्येक बिंदु से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

माननीय उपसभापति जी, मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और अभिनंदन इसलिए करता हूं कि देश के इतिहास में किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण चिंह जी के बाद यदि किसी ने गांव की, किसान की, मजदूर की चिंता की है, तो वे आदरणीय मोदी जी हैं। मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि 2014 में पांच साल पहले सत्ता में आने से पूर्व जो उन्होंने कहा, वह उन्होंने यथार्थ में करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का मंत्र होगा - 'सबका साथ, सबका विकास"| उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए समर्पित होगी। यह उन्होंने यथार्थ में करके दिखा दिया। मान्यवर, उन्होंने अपने पाँच साल की सरकार के आचरण से, व्यवहार से कर्तृत्व से, जो उन्होंने कहा, उसे चरितार्थ किया। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी-अभी जो चुनाव हुआ, उसमें जो प्रचंड विजय मिली, वह इस बात का

अकाट्य प्रमाण है कि देश के प्रत्येक वर्ग ने, प्रत्येक क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के प्रति एक विश्वास की किरण जागी, इसीलिए पूरे देश के अंदर उनको भारी समर्थन मिला। मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि 2014 से पहले पूरा देश जिस निराशा, कुहासा, हताशा में डूबा हुआ था, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, छोटे-छोटे व्यापारी आदि में जो निराशा थी, जो कुंठा थी, उस निराशा और कुंठा से निकालकर, उन्होंने देशवासियों को यह अहसास कराया कि "नहीं" , हालात बदले जा सकते हैं और उन्होंने हालात बदलना प्रारम्भ कर दिया। पूरे देश के लोग आज यह समझ ते हैं कि हिन्दुस्तान नये भारत के निर्माण की दिशा में चल पड़ा है।

मान्यवर, आज इसी का परिणाम है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी सभी के चिंतन की धारा बदलती दिखाई देती है। मान्यवर, मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि 70 साल में प्रथम बार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले करोड़ों लोगों को उन्होंने ताकत दी, फ्री गैस कनेक्शन दिए, फ्री बिजली कनेक्शन दिए, फ्री शौचालय दिए, फ्री आवास दिए, जिसके कारण से गरीब के चेहरे पर मुस्कान लौटनी प्रारम्भ हुई है।

मान्यवर, मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि उन्होंने किसान फसल बीमा की जो दर थी, पहले की सरकार में 25 प्रतिशत थी, उसे घटाकर डेढ़-दो परसेंट कर दिया है। उसकी फसल की लागत का मूल्य डेढ़ गुना किया, 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को पाँच लाख रुपया प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की। मान्यवर, मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि उन्होंने वर्षों से जो पिछड़े वर्ग की मांग थी, उसके लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, सामान्य वर्ग के अंदर जो गरीब लोग थे, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की।

मान्यवर, मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद भारत के इतिहास में आर्थिक दृष्टि से अंतिम पायदान पर जो लोग बैठे थे, गंदे कूड़े के ढेरों में रोटी खोजने वाले जो लोग थे- कचरा बीनने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, खेतों में मजदूरी करने वाले लोग, घरों में कामकाजी महिला, पुरुषों तथा घुमंतू जातियों के लिए अपने बजट में प्रथम बार प्रावधान किया। मान्यवर, मैं आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि आज़ाद भारत में प्रथम बार देश के अन्नदाता किसान को उन्होंने 6,000 रुपये की सहायता सीधे-सीधे उनके खाते में दी और मेरे उधर के लोग कहते हैं कि 6,000 रुपये से क्या हो जाएगा? उनके नेता कह रहे थे कि 17 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनके खाते में आता है। मान्यवर, आपने तो एक पैसा उनकी जेब में नहीं डाला, सिवाय किसान को लूटने के, किसान को तबाह करने के, किसान को बरबाद करने के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया गया।

[श्रीमती छाया वर्मा]

मान्यवर, मैं अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने आज़ाद भारत के इतिहास में प्रथम बार छोटे व्यापारी, छोटे-छोटे सरकारी कर्मचारी, जिनकी आमदनी पाँच लाख रुपये से कम थी, उनको आयकर में छूट दी। उपसभापति महोदय, मैं उनका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आज छोटे व्यापारियों को 40 लाख रुपए तक की GST में छूट दी गई है। मेरे जो उधर के साथी बैठे हैं, उनकी इतनी दुर्गति होने के बाद भी, हिन्दुस्तान के मानचित्र से पूरी तरह से सफाया होने के बाद भी, उनकी दृष्टि अभी तक सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RIPUN BORA (Assam): Is he speaking on the Resolution. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, सुनिए-सुनिए। सुनने की जरा क्षमता रखिए ...(**व्यवधान**)... आपको सुनना पड़ेगा। आपने जो पाप किए हैं, आपने जो अपराध किए हैं, किसानों के साथ जो छल हुआ है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय हरनाथ सिह जी, कृपया ...(**व्यवधान**)...

SHRI RIPUN BORA: This is the Resolution. He should speak on the Resolution. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव: किसानों के साथ जो छल हुआ है, वह उन्हें सुनना पड़ेगा। मान्यवर किसानों की जो तबाही हुई है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: किसानों के ऊपर आधारित रिज़ॉल्यूशन है, कृपया उस तक आप अपने को केन्द्रित करें।

मैं दूसरी चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के पास सिर्फ सात मिनट का समय है और आप नौ मिनट बोल चुके हैं। अभी दो वक्ता और हैं और यह बहस हम 4.30 बजे समाप्त कर देंगे।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं बार-बार बोलता नहीं हूं। आप मेरे ऊपर आज थोड़ी सी कृपा कर दीजिए और मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं अपनी पार्टी से भी निवेदन कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: समय की सीमा है। यदि आपकी पार्टी तय करे, तो आप पूरे समय का उपयोग कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि वे इस बारे में

मेरी थोड़ी मदद करें। मेरे अपने एक साथी कह रहे हैं कि वे अपना समय भी मुझे बोलने के लिए दे रहे हैं।

मान्यवर, किसानों की जो तबाही है, किसानों की जो बरबादी है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान आज 70 साल की आजादी के बाद भी कर्जा लेने के लिए मजबूर है, वह हमारे उधर बैठे हुए साथियों की देन है और इसके लिए कांग्रेस पूरे तरीके से जिम्मेदार है एवं कांग्रेस सरकारें इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

मान्यवर, हमारे उधर के वक्ता, उधर के लोग बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया? मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकारों ने 60 सालों तक अपने राज में किसान के साथ * किया, * किया, प्रपंच किया, कभी उसकी फसल का दाम सही नहीं दिया, सिंचाई, खाद, पानी, बिजली, सब फसलों की सुरक्षा आदि की कभी उन्होंने चिन्ता नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि यह अनायास ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की एक * थी, सोची-समझी रणनीति थी कि गांवों में रहने वाले 80 परसेंट किसानों को नून, तेल और लकड़ी के चक्कर में उलझाए रखो। उसे ताकत मत दो, क्योंकि यदि वह ताकतवर बन गया और यदि उसके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे और दुनिया के अंदर कैसे-कैसे वहां के लोगों ने आतताई सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है, इसे वे जान जाएंगे और तब इन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए इन्होंने सुनियोजित तरीके से किसानों के साथ धोखा किया, छल किया और प्रपंच किया।

मान्यवर, आज किसान भूखा है, नंगा है, शोषित है, उत्पीड़ित है, अपमानित है, कर्जदार है, इसके लिए जिम्मेदार केवल हमारे उधर के साथी हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता)** *पीठासीन हुए*]

मान्यवर, आज आप देखिए, इनके मन के अंदर, इनके दिल के अंदर किसानों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। इनका यह प्रेम, किसानों के प्रति पूरी तरह से ढोंग और छलावा है। किसान आपकी चाल को, आपके चरित्र को और आपके चेहरे को पूरी तरीके से समझ चुका है, इसलिए अब वह आपके छलावे में नहीं आने वाला है।

मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि कांग्रेस के त्यागपत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, गेहूं व जौ की बाली का अन्तर बता दें, नहीं बता सकते। वे यह नहीं बता सकते कि एक एकड़ खेत में यूरिया और डीएपी की कितनी-कितनी जरूरत हो सकती है। मान्यवर, इनके नेता यह नहीं बता सकते हैं कि शकरकंदी जमीन में पैदा होती है, उसकी बेल होती है, उसका पेड़ होता है या उसका वृक्ष होता है। इनके नेता यह नहीं बता सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ये यह भी नहीं बता सकते कि डीएपी और यूरिया दोनों में क्या

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री हरनाथ सिंह यादव]

फर्क होता है। मान्यवर, अगर ये सही तरीके से चलते, गाँव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों की चिता करते, तो ये इनके हालात नहीं होते। भारत के क्षितिज पर आदरणीय मुलायम सिंह जी, सुश्री मायावती जी, सुश्री ममता बनर्जी, श्री लालू प्रसाद यादव आदि क्षेत्रीय नेताओं का प्रादुर्भाव नहीं होता, यदि आपने गाँव, गरीब, किसान, मजदूर की चिंता की होती।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Member, the names you have referred to, आपने जिन नामों का जिक्र किया है, वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, दूसरे सदन के सदस्य हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मैंने उनकी आलोचना नहीं की है। मैंने उनके लिए अच्छा बोला है, मैंने पॉज़िटिव बोला है। मैंने उनके बारे में सकारात्मक बोला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप नाम मत लीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: ठीक है। मान्यवर, कांग्रेस के * का ही परिणाम था कि 1967 में ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): नाम ले रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप थोड़ा-सा रुक जाइए। Wherever the name of any political party is taken, it will be expunged.

श्री हरनाथ सिंह यादव: माननीय प्रदीप टम्टा जी, आप थोड़ी-सी कृपा कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): बैठिए, बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर टम्टा जी, बहुत बोलते हो, बहुत आक्रमण करते हो. ...**(व्यवधान)**... आप जरा सुनिए। ...**(व्यवधान)**... आपको सुनना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, आपको सुनना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... आपको सुनना पड़ेगा कि आपका मटियामेट क्यों हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा: आपके पहले ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): टम्टा जी, please sit.

SHRI RIPUN BORA: Sir, is this Parliament or an election campaign. ...*(Interruptions)*... This is a Private Member's Resolution. ...*(Interruptions)*... ask him to go and take part in an election campaign. ...*(Interruptions)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please be seated. The Chair is there to see all that, आप बोलिए ।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर ...(**व्यवधान**)... मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैं आपका आलोचक नहीं हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आपको उधर एड्रेस करने की जरूरत नहीं है।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं इनका शुभचिंतक हूं, आलोचक नहीं हूं, आपने जो गलतियाँ की हैं, आपने जो पाप किए हैं, आपने जो अपराध किए हैं, देश के साथ जो विश्वासघात किया है, भविष्य में मत करिए, इसके ऊपर चिंतन कीजिए। मैं आपके चिंतन के लिए ये बिंदु छोड़ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इनके पापों का ही परिणाम था कि ...(**व्यवधान**)...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, पाप और अपराध की एक निश्चित परिभाषा है। इस तरीके से नहीं कि पाप. ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, आप तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए, आप मेरे मित्र हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप रिजॉल्यूशन पर बोलिए और चेयर को एड्रेस कीजिए। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, बस मेरा खत्म ही होने वाला है। ठीक है, मैं उधर देखकर नहीं बोलूंगा।

मान्यवर, इनके * का ही परिणाम था कि सबसे पहले 1967 में देश के नौ राज्यों में कांग्रेस को जनता ने धूल चटाई। हमारे कांग्रेस के मित्रों, आपके उनके त्यागपत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1974 से लेकर 75... के दौर को भी याद करना चाहिए, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ, आम नागरिक के प्रति नाइंसाफी के खिलाफ सारा देश आपके खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हो गया और 1977 में आपका मटियामेट कर दिया। मान्यवर, यह आपके जघन्य पापों का ही परिणाम था कि देश की जनता ने 1977 के चुनावों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब ...(**व्यवधान**)... बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में आपको एक भी सीट नहीं दी। आपका पूरे तरीके से सफाया कर दिया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, ...(**व्यवधान**)...

SHRI RIPUN BORA: Sir, his time is over. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): कोई भी अनपालियामेंटरी शब्द होगा, वह एक्सपंज हो जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री हरनाथ सिंह यादव: 1969 में ...(**व्यवधान**)... आपके पापों से दुखी होकर ...(**व्यवधान**)... किसानों ने, मजदूरों ने ...(**व्यवधान**)... अगड़ों ने ...(**व्यवधान**)... पिछड़ों ने ...(**व्यवधान**)... अनुसूचित ...(**व्यवधान**)... बेरोजगार नौजवानों ने आपको फिर नकार दिया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, 1999 में पुन: देश की जनता ने आपको अपने पापों का दंड दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। फिर मान्यवर, 2014 में, जब आप सँभले नहीं, आपकी समझ में नहीं आया, ...(**व्यवधान**)... 2014 में आपके पापों की सजा जनता ने पुन: दे दी और आदरणीय मोदी जी को देश की बागडोर सौंप दी। उसी का परिणाम है कि हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): एक मिनट। आप रूल बताइए। Under which Rule? ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Under Rule 162, Sir. ...*(Interruptions)*... It is a point of order, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Let him finish. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिह यादव: मान्यवर, कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र की रक्षा की बात करते समय लज्जा आनी चाहिए। मुझे याद है कि सदन में कई वरिष्ठ माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, गवाह हैं कि उन्हें याद होगा 17 फरवरी, 1980 का दिन, जब * ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा तथा पंजाब की जनता द्वारा चुनी गई नौ लोकप्रिय राज्य सरकारों को एक ही दिन बर्खास्त कर दिया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): एक मिनट, उनका point of order सुन लेते हैं।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, कांग्रेस के * ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस का * लोकतंत्र की हत्या से सना हुआ है। ...(**व्यवधान**)... * ने यह जघन्य अपराध एक बार नहीं, 126 बार किया है। ...(**व्यवधान**)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have allowed a point of order. Please be seated. Let me listen to me. ...*(Interruptions)*...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Thank you, Sir. I am reading Rule 162. Under Resolution - Scope of Discussion, "The discussion of a Resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the Resolution". मैं एक साल से इस सदन में हूँ। Private Members' Bill और Resolution पर मैंने कभी इस तरह का politically partisan, कोई चर्चा नहीं देखी है। हमने इतने अच्छे ...**(व्यवधान)**... यह क्या हो रहा है?

श्री हरनाथ सिंह यादव: सर, मेरा पूरा भाषण गाँव, किसान, गरीब के साथ जुड़ा हुआ है। मान्यवर, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर को अलग करके कोई बात नहीं की जा सकती इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): ठीक है, आप रूल भी देख लीजिएगा।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं रोज़ नहीं बोलूँगा। मैं अपनी बात 1975 से लेकर...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं बस पाँच मिनट लूँगा।

मान्यवर, यदि मैं आज अपने भाषण में 1975 से लेकर 1977 के तब के तानाशाही दृश्य की चर्चा नहीं करूँगा, तो मैं न्याय नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं 19 महीने भूमिगत रहा। मैं उस समय के बारे में केवल दो मिनट बोलना चाहता हूँ। सारा देश जानता है कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने * के द्वारा बेईमानी से चुनाव जीतने के कारण उनको 6 साल के लिए चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। परन्तु * ने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना और देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव: चार लाख राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूँस दिया। ...**(व्यवधान)**... जनता के सभी मौलिक अधिकारों को suspend कर दिया गया, यहाँ तक कि जनता ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: This is height. ...*(Interruptions)*... I have never seen this. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मैंने आपको बताया कि आपका समय समाप्त हो चुका है। आप समाप्त कीजिए, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ।

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मान्यवर, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर ब्रिटिश शासन की भाँति अत्याचार किए गए, उनके हाथ के नाखून उखाड़े गए, उनको बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया ...(**व्यवधान**)... और हजारों की संख्या में माताओं और बहनों की माँग के सिंदूर पुछ गए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है। आप बाद में बोल लीजिएगा।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं इनको छोड़ता हूँ। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, दो मिनट प्लीज़। मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाती। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Next speaker is Shri Ravi Prakash Verma.

श्री हरनाथ सिंह यादव: सर, मैं यह विषय छोड़ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, तब तक मेरी बात पूरी हो जाती। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मेरा एक बिन्दु और है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): वर्मा जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Only Mr. Verma's speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मान्यवर, आप व्यवस्था बना दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It will not go on record. Only your speech will go on record. Vermaji, just one minute. मैं सभी मेम्बर्स के भले के लिए बोल रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मेम्बर्स को प्राइवेट मेम्बर्स डे मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से Private Members' Resolution आता है। इसलिए किसी को यह मौका गँवाना नहीं चाहिए। आप Resolution पर बोलिए, रूल है, रूल के अन्दर बोलिए और ठीक-ठाक बोलिए। वर्मा जी, आप बोलिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय तोमर साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपनी ही सरकार को जगाने का काम किया है और आईना दिखाया है कि पाँच साल हो गये और अभी भी शुरुआत हो गयी है, शानदार शुरुआत हुई है, क्या काम किये जाने की जरूरत है। मैं वाकई आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

सर, हिन्दुस्तान में खेती एक मानव अध्यवसाय है, human enterprise है और जैसा कि जिक्र हुआ, 77 प्रतिशत के आसपास लोग directly या indirectly खेती से जुड़े हुए हैं। यह आजीविका का बहुत बड़ा क्षेत्र भी है। अभी जिक्र इस बात का हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो खेती का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था, वह लगभग 50 परसेंट के आसपास था और अभी मुश्किल से एक परसेंट है। अगर साथ में allied activities का दायरा निकाल दिया जाए, तो तोमर साहब, यह मुश्किल से 1 परसेंट बनता है। ये जो स्थितियाँ आज हमारे सामने आ रही हैं, उन पर अपने आप में एक बड़ा प्रकाश पड़ता है कि क्या किया गया है और क्या किया जाना है। चूँकि यह रिज़ॉल्यूशन है, यह प्रस्ताव है, तो मैं समझता हूँ कि साँप निकल गया और हम लकीर पीट रहे हैं, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अब हमें कल क्या करना है, आगे आने वाले समय में क्या करना है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

सर, कृषि में हम उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं..., आज खाद्यान्न के लिए हम आत्मनिर्भर हैं। यह बड़ी अच्छी बात भी है कि अब देश में लोगों के खाने-पीने की आदतें भी थोड़ी सी बदल रही हैं। तो अनाज के साथ फल, सब्जियाँ या हमारी कृषि के दूसरे उत्पादों की खपत भी लगातार बढ़ रही है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय सामने निकल कर आ रहा है। अभी जब किसानों की बात होती है, तो mostly उन किसानों की बात होती है, जो अनाज पैदा करते हैं या दलहन पैदा करते हैं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मौसम बदलने के कारण, आर्थिक कमज़ोरी के कारण आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, तो यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है और यह आरोप और प्रत्यारोप से कहीं ऊपर है। यह तो आत्मावलोकन करने का, self-introspection करने का समय है और मौका है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस रोटी के बिना कोई जी नहीं सकता, यह रोटी अपरिहार्य है, उस अनाज को पैदा करने वाला व्यक्ति आज विवश हो कर आत्महत्या कर रहा है और हम सिर्फ उस पर विचार कर रहे हैं। सरकार piecemeal में बहुत सारी सुविधाएँ लेकर आती है, कभी इंश्योरेंस को लेकर, कभी बैंक फाइनेंस को लेकर, तो कभी मार्केट को लेकर, लेकिन वह समग्रता में नहीं है। वह piecemeal समाधान है, जो आज तक सही जगह पर नहीं पहुँच पाया।

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

सर, चूँकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत flare up नहीं करूँगा, सिर्फ बिन्दुओं में इस बात को कहना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि कृषि को राजकीय संरक्षण मिलना चाहिए। जो किसान है, वह देश की सेवा कर रहा है और वह अनाज पैदा कर रहा है। वह खुद नहीं खाता, वह समाज के लिए पैदा कर रहा है। एक तरफ जहाँ हम लोग पानी बचाने की और पार्टियों में अनाज बरबाद न किया जाए, उसकी बात करते हैं, तो जो आदमी अनाज पैदा कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उस पर एक निगाह डालने की जरूरत है।

सर, यह बड़ी दुखद स्थिति है कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर मुझे कोई ऐसा गाँव नहीं मिला, जहाँ पर गाँव के सभी लोग बैठ कर एक production plan बनाते हों या फसल-चक्र की खुद समीक्षा करते हों। दिक्कत तो यह है कि जो पंचायत है, जिसको अब तक उत्पादन की, प्रसंस्करण की, मार्केटिंग की, पैकेजिंग की और ट्रांसपोर्ट की इकाई बन जाना चाहिए था, वहाँ यह हो रहा है कि किसान सिर्फ उत्पादन कर रहा है, उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है, जो middle man है, वह उसका विपणन कर रहा है, जो प्रसंस्करण करने वाली कम्पनियाँ हैं, वे प्रसंस्करण कर रही हैं और मार्केटिंग तथा डिस्ट्रिब्यूशन वाली कम्पनियाँ उसका मुनाफा निकाल रह और हम किसान की स्थिति पर चिन्ता कर रहे हैं। गाँव को उत्पादन की, प्रसंस्करण की, पैकेजिंग की, बिजनेस की और ट्रांसपोर्ट की इकाई बन जाना चाहिए था। यह आगे कैसे बनेगा, इस पर हमें, आपको, सबको बैठ कर गौर करना है। महोदय, हमारे यहां उत्पादक संगठित नहीं हैं - चाहे गन्ने का उत्पादक हो, गेहूं का हो, धान का हो, तिलहन का हो, दलहन का हो, सब्जियों का हो, फलों का हो, मछली का हो, दूध का हो -- कोई उत्पादक संगठित नहीं हैं, लेकिन बाज़ार संगठित है। आजकल जो डिब्बा कारोबारी forward trading करने वाले पैदा हो गए हैं, पूरे देश में जितनी खपत होती है , उसका पहले से अंदाजा लगा लेते हैं और उसी के हिसाब से रेट तय करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सारा मुनाफा उन्हें चला जाता है और किसान खाली हाथ रहता है।

मेरा कहना है कि गांवों में जो लेबर है, उसका upgradation होना चाहिए - जो unskilled है, वह semi-skilled और जो semi-skilled है, उसे expert labour में convert होना चाहिए, जिससे कि गांवों के अंदर जो value-added services हो सकती हैं, चाहे crop protection की हों, processing की हों, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। मंडी प्रणाली पर यहां कई बातें कही गईं। इसे लोकतांत्रिक होना चाहिए। यह अब सरकारी मंडी हो गई, किसानों की मंडी नहीं रही। इसमें किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए। जिस किसान सम्मान की बात हो रही है, सारी की सारी किसानों की social security directly मंडी से लिंक्ड होनी चाहिए। जिस किसान ने जिन्दगी भर मंडी को गल्ला दिया है, दूध दिया है, सब्जी दी है, उस मंडी की जिम्मेदारी है कि वह किसान और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए। सिर्फ एक मिनट रह गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैंने बड़े पॉइंट की बात की है। मंडी का काम खाली खरीदना है, ऐसा कहना गलत है। लाइसेंस आढ़तियों के पास है, जबकि किसान के पास लाइसेंस होना चाहिए, जो मंडी में अपना उत्पाद बेचता है। Procurement, processing और retailing का काम मंडी को मिलना चाहिए, ताकि उसके दाम स्थिर रहें - जो किसान को चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से दामों को स्थिर करना अक्लमंदी नहीं है।

गन्ने की खेती के बारे में जिक्र हुआ। अभी भी गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। हमारे यहां माननीय प्रधान मंत्री जी एलान करके आए थे कि 14 दिनों के अंदर हम पेमेंट कराएंगे, हमें दुख है कि प्रधान मंत्री जी की बात खंडित हो गई। इस पर गौर करना पड़ेगा - चाहे दूध उत्पादक हों, horticulture के उत्पादक हों, वैकल्पिक आमदनी के जो दूसरे जरिए हैं - जड़ी-बूटियों पर काम हो सकता है, मसालों पर काम हो सकता है - उस पर भी विचार करने की जरूरत है। ...**(व्यवधान)**... मैं बस close कर देता हूं। मुझे एक पॉइंट ही और कहना है।

जिस गौवंश के बारे में कहा जा रहा है, मुझे सरकार को आगाह करना है कि अगर यही नीतियां चलती रहीं तो किसान अगले साल से गाय पालना छोड़ देगा। आज इतनी दिक्कत हो रही है, जैसा अभी हमारी बहन छाया वर्मा जी कर रही थीं कि सरकार *ad hoc* plan लेकर चल रही है, खेती नुकसानदायक हो रही है और लोग मारे भी जा रहे हैं। सभी जगह बुरा हाल है। ...**(व्यवधान)**... लास्ट में, इंश्योरेंस issue पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसा इन्होंने जिक्र किया कि इसमें बहुत बड़ा घपला है, व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, किसानों को रसीद नहीं दी जाती और जो क्षतिपूर्ति के माध्यम हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कब और कैसी क्षतिपूर्ति मिलेगी। जो बैंकों का सपोर्ट सिस्टम है, हमारे सहकारी बैंक टूट रहे हैं, साहूकारों का जाल मजबूत हो रहा है, जो आढ़तिए सस्ते में गल्ला खरीदते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, वे ताकतवर हो रहे हैं। कर्ज माफी की जो राजनीति हो रही है, ये उन पर गोल करते हैं, वे इन पर गोल करते हैं - यह फुटबॉल नहीं है। यह हिन्दुस्तान की खेती है जिस पर 77 करोड़ लोग पल रहे हैं। अंत में, मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस Resolution को सर्वसम्मति से पास किया जाए और किसानों के लिए हितकर माहौल बनाया जाए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Prasanna Acharya. You have three minutes.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, only three minutes! Please make it five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No. We have to finish it by 4.30 p.m. There is another Resolution.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I would complete in five minutes.

Mr. Vice-Chairman, Sir, a high-powered committee of Chief Ministers has been formed by the Central Government for the transformation of Indian agriculture. At the outset, we support this stand of the Central Government. Very recently, I think, they held a meeting and they have pointed out certain very important things in the agricultural sector.

Sir, the foremost thing which the Committee has deliberated upon in their first and second meetings is that the Centre would provide crop loan to farmers to the tune of Rs.13 lakh crore. The Central Government is providing that. It is over and above the funds provided by the different State Governments. The Central Government is providing crop loan to farmers to the tune of Rs.13 lakh crore. But, unfortunately, Sir, a large number of farmers, especially the small and marginal ones, remain outside the institutional credit mechanism. This is the observation in the meeting of this Committee. It is a very, very important observation. We are talking of growth in agriculture. We are talking of uplifting the financial status of the farmers. We have State Governments and the Central Government making provisions for lakhs and lakhs, crores of rupees to provide loan for the farmers. In spite of all this reality, the bare truth is that a large number of farmers are still outside the fold of the institutional credit system. Therefore, Sir, most of the farmers, particularly, the small farmers, and the middle class farmers are getting trapped into the loan trap of the private moneylenders. That is one of the foremost reasons why the farmers are committing suicide. I think when we are discussing agriculture, when we are discussing farming, the whole country is alarmed about the number of farmers committing suicides in this country every year. It is around 14,000 to 15,000 of people are committing suicides per year. You will be surprised to know that the highest number of farmers committing suicide in this country are in Maharashtra, unfortunately, which is ruled by you. It is a very progressive State. It is an economically advanced State but the highest number of farmers are committing suicide in that State. So, we have to very deeply ponder into this problem.

Sir, many of the hon. Members have raised it. What is our growth rate in agriculture? If you go through the figures, since 1913-14 up till now, every year, it is decreasing.

The growth rate is not increasing. What is the reason? Okay, we are all over-satisfied that we do not depend upon other countries for importing food grains. If you properly remember, there was a time when we were importing wheat. Under PL-470, we had agreement with the American Government. The rejected food grains by the U.S. were imported by us. That scenario has completely changed. I do not agree that nothing has been done in this country during the last 70 years in agriculture. We have done many things. We have achieved so many things. I do not agree humbly with the hon. Member who was telling nothing has been done in this country. Yes, there have been two successful green revolutions in this country. In spite of that, why are farmers committing suicide? The basic reason is that the production has improved but the farmer, who is toiling hard in the soil, is not getting the actual price of his produce. That is one of the reasons.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANNA ACHARYA: We should provide them the Minimum Support Price. The Government is boasting that they have implemented the Swaminathan Commission Report. Last year, during pre-election time, you enhanced the paddy price. I talk of paddy, particularly, because I hail from a paddy-growing State of Odisha. You enhanced it to ₹ 200. What did you do this time? It is merely ₹ 65 only and you are talking of implementing the Swaminathan Commission Report. Please do not try to bluff the nation, cheat the nation. You have not implemented in true sense the recommendations of the Swaminathan Commission so far as MSP is concerned. You have not implemented. If you allow me time, I will explain in detail. I have all the formulae with me. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): But we have no time, Mr. Acharya. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANNA ACHARYA: The Government has not in true sense implemented the Swaminathan Commission Report so far as the MSP is concerned, Sir. So, let us not cheat the farmers. If we cheat the farmers, we cheat ourselves. So, Sir, this is a very, very wide topic. I compliment Mr. Tomar that he has brought this Resolution. In the form of discussing his Resolution, we could have discussed many things but the unfortunate part is that we entangle politics into farmers' problems. That is the

[Shri Prasanna Acharya]

most unfortunate part of it. Let us not do that for the sake of the farmers, for the sake of agriculture and for the sake of whole nation. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri B. Lingaiah Yadav. He will speak in Telugu.

*SHRI B. LINGAIAH YADAV (Telangana): Hon. Vice-Chairman, Sir, I feel privileged for getting a chance to speak on this topic. Many Governments stated, "Farmer is the backbone of the Country". Nearly 65% population in this country is engaged in farming. However, the farming sector is facing severe crisis and farmers are committing suicides. The main reason for this is, though we have 80,000 TMC of water which can be utilised for agriculture, we are able to use only 40,000 TMC for agriculture and the rest of the 40,000 TMC of water is getting merged with the sea. We are not taking adequate measures to save this amount of water which is being wasted. In the past, many scientists had proposed various solutions for the development of agriculture sector. Sir, we have to follow the recommendations made by the Swaminathan Committee. Hon'ble Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrashekar Rao, a role model for others in administration, has launched Rythu Bandhu Scheme, which helps farmers by giving them ten thousand rupees per acre as initial investment towards farming. I would also like to bring to your notice that, unlike elsewhere in the country, Shri K. Chandrashekar Rao has been providing 24hours free electricity to the farmers in the State. The Rythu Bandhu Scheme, under different names, is being implemented in several States like Odisha, West Bengal and Andhra Pradesh. Even Central Government is implementing this scheme in the name of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Under the scheme, the Central Government is paying only ₹ 6,000, and I urge the Central Government to enhance it to ₹15, 000. Telangana Government is waiving loan amount of rupees one lakh. Telangana government has arranged for storage houses of 19.5 lakh metric tonnes capacity and a farmer can store his produce until he gets the desired price. Apart from providing fertilizers and seeds to the farmers, the Telangana Government has launched Mission Kakatiya. Through this scheme, we have restored nearly 40,000 tanks and provided water for irrigation in the State. If the farming sector has to develop, multipurpose projects should be in place. Kaleswaram Project is one of the best projects in the world. Hon. Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrashekar Rao has spent

* English version of the original speech delivered in Telugu.

nearly one lakh crores for this project which provides irrigation water to nearly 50 lakh acres of land. This project provides water for irrigation purpose in nearly eighteen districts in the State. Farming will be beneficial where irrigation projects have been built. Telangana State has allocated funds to Rythu Samanvaya Samithi, an agriculture cooperative set up, which provides the farmers with investment towards farming. Telangana Government is also providing agriculture equipment and tractors at 90% subsidy to the farmers belonging to S.C and S.T communities. The State is also helping the farmers in such circumstances when the crops get affected due to natural disasters. Sir, if the Schemes launched by Shri K. Chandrashekar Rao are implemented throughout the country, the farmers across the country will be greatly benefitted. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) : Now, the next speaker prof. Manoj Kumar Jha. You have three minutes to speak.

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मुझे पता है।

"एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया,
एक और गाँव शहर की वुसअत में समा गया।"

सर, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक बात मैं तीस सेकंड्स में कहूँगा। मेरा इस सदन में एक साल हुआ, शुक्रवार के दिन का हम सब इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन वही लोग होते हैं, जो किसी विषय पर गंभीरता और प्रतिबद्धता से बात करना और कहना चाहते हैं। बाकी के चार दिन राजनीति के लिए हैं, राजनीतिक सरोकारों के लिए हैं। सर, यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ।

सर, प्रधान मंत्री जी जब आत्महत्या के संदर्भ में बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय पीड़ा है। हम सबको बहुत खुशी हुई। सर, आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब तो आंकड़े भी आने बंद हो गए हैं। एक-एक किसान की आत्महत्या से सिर्फ सरकार पर सवाल नहीं उठता है, वह हमारी संजीदगी और संवेदनाओं पर सवाल है और हमारी संवेदनाएं मृत्युपर्याय है, ज़मीन पर औंधे मुंह लेटी पड़ी है, चाहे हम कितना भी अभिनंदन कर लें। अब अभिनन्दन मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने किसान का करना चाहता हूँ, जो जेठ की दोपहरी में अपने खेत में काम करता रहता है। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, यह मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभिनन्दन उसका होना चाहिए कि वह हड़ताल की घोषणा नहीं कर रहा। सर, अगर किसानों ने किसी दिन हड़ताल की घोषणा कर दी, तो संसद बन्द हो जाएगी, सड़क सुनसान हो जाएगी। वह स्थिति आ रही है। उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था।

सर, मेरा पहला सवाल भूमि सुधार को लेकर है। मैं माफी के साथ कहता हूँ, आप छोटे दलों की बात छोड़ दीजिए, जो अधिकांश बड़े दल हैं, वे भूमि सुधार पर चुप्पी साध लेते हैं। आप कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार के बगैर क्रांति नहीं ला सकते, आप किसानों की

[प्रो. मनोज कुमार झा]

जिन्दगी बदल नहीं सकते। सर, एक आँकड़ा है। किसानी में जो आधे से नीचे के लोग हैं, rural household, उनके पास तीन प्रतिशत जमीन है और जो ऊपर के 10 परसेंट हैं, उनके पास 54 प्रतिशत जमीन है। इस सदन के सारे लोग विद्वान हैं। Article 39 (B) says, "That the State shall make sure that the owneship and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good." आज इसे हमने भुला दिया, सबने भुला दिया, क्योंकि प्रस्तावना में जो एक पंक्ति है-समाजवादी सरोकार, वह अभिलेखागार में, museum में चला गया है। इन्होंने नहीं भेजा। सर, आज मुझे एकाध मिनट समय और दे दीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं दूसरी चीज़ यह कहना चाहता हूँ कि homestead land के लिए भी minimum 15 cents should be available. क्या हम इतना नहीं कर सकते? इसी सदन में बड़े लोगों के लाखों-करोड़ों रुपये के writing-off की बात होती है, ये तो किसान हैं, ये हमारे मुल्क की backbone हैं, रीढ़ हैं। हम बचपन से पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है। जब यह कृषि प्रधान देश है, तो हमारी प्राथमिकता में वह प्रधान क्यों नहीं है, वह हमारी प्राथमिकताओं में क्यों नहीं आता है? मैं समझता हूँ कि land tribunals and fast-track courts की फौरी तौर पर जरूरत है। खासकर, ceiling के ऊपर की जो लैंड है, 5 एकड़ लैंड खास तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सर, MSP के बारे में बहुत बातें हुईं। मैंने इस सदन में पहले भी कहा है, MSP में लागत का जो मूल्यांकन होता है , कहानी वहीं छुपी हुई है। लागत में क्या-क्या नहीं करते हैं? उसमें घरेलू खाद-बीज नहीं जोड़ते हैं, महिलाओं के श्रम और परिवार के अन्य लोगों के श्रम को नहीं जोड़ा जाता, बाजार आने-जाने में जो खर्च होता है, उसकी कोई गणना नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा, किसान और किसानी के मामलों में किसानों से राय लीजिए। अगर bureaucrats राय दिया करेंगे, तो...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो खरीद है, वह सात से आठ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होता है। बिचौलियों का तंत्र सरकारों के साथ मिलकर ऐसा खेल करता है कि जब वह जमीन की फसल काटता है, तो वह चाहता है कि मैं इसको निबटा लूँ। वहाँ निबटाने के लिए सरकार नहीं जाती है। मेरी यह आखिरी टिप्पणी है, उसके बाद नहीं बोलूँगा। सर, हमें एक चीज़ और सोचनी होगी कि देश के अलग-अलग हिस्सों में जिस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, land acquisition को लेकर भी हम लोगों को तय

करना होगा , अन्यथा जब एक जगह घटना हुई -- राज्य का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है -- तो कल को यह मेरा राज्य हो सकता है, किसी और का राज्य हो सकता है, लेकिन अगर संसद ने सख्त स्वर में एक संदेश दिया, किसान, किसानी, दलित, आदिवासी, उनके सरोकारों पर किसी crony पूंजीवाद का पंजा नहीं पड़ेगा, तब बात आएगी, तब किसान आयोग की महत्ता होगी। मैं तोमर जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। तोमर जी, आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आप एक ऐसा विषय लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों में कोई मतांतर नहीं है। मैं चाहूँगा कि सरकार के लोग इसको पास करें, ताकि संदेश जाए कि हम किसानों के बारे में सिर्फ पोलिटिकल मेनिफेस्टो ...**(व्यवधान)**... में ही बात नहीं करते।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support the Resolution moved by Shri Vijay Pal Singh. I am just referring to the point No. 6 of his Resolution, where he stated that saving a farmer is not just only saving a life. I would like to add further that it is not just saving of agriculture and tradition, but saving our country because this country being an agrarian country, the country would collapse if we do not support the farmers and agriculture, That is what my point is. Sir, Shri Vijay Pal Singh Tomar's proposal to set up a National Farmers' Commission, with constitutional status, is really appreciable. This National Farmers' Commission, what he has contemplated, should be on the lines of the SC/ST Commission, and all the 29 States in this country should have a State Farmers' Commission, and each of the State Commission should have a representation in the National Commission, thereby, the problems of the farmers across the nation could be addressed.

The next point is, the Resolution urges the Government to increase the amount of funds provided to the farmers as Kisan Samman Nidhi from ₹ 6,000 to ₹ 10,000. In fact, the present Andhra Pradesh Government, headed by Shri Y.S. Jaganji, has already announced Rythu Bharosa scheme, which gives ₹ 12,500 to every farmer as a support before the seeding season.

The next point is, point No. (c) of the Resolution, which urges for the implementation of Fasal Bima Yojana. Sir, I would like to State that in Andhra Pradesh, a decision has already been taken to pay entire premium of crop insurance by the Government itself.

Sir, the next point is, while there is no system in place for compensation if a farmer commits suicide, as Prasanna Acharyaji has stated, in Andhra Pradesh, the present

4.00 P.M.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Andhra Pradesh Government, under the leadership of Shri Y.S. Jaganji, has announced that it would give ₹ 7 lakh per farmer as a compensation in case a farmer commits suicide, and this is how the present Government of Andhra Pradesh is supportive of the farmers' and farmers' cause.

The next point which I would like to bring to the notice of this august House which is definitely an anomaly, and Shri Vijay Pal Singhji urged the Government to exempt GST on agricultural equipments. Sir, I would like to point out in this connection there should be 90 per cent subsidy for farmers to purchase agricultural tools and machinery. That is what his proposal is. Sir, very uniquely, there is no GST on green chillies. If green chillies are exposed to Sun, there is no process involved there. If green chillies are dried up and they are exposed to Sun, then, the red chillies attract the GST. What is this? Is there any value addition for that? These are all the anomalies, which the GST should be rectified, so far as the farmers' issues are concerned.

Then, I come to fragmented holdings. Sir, the first challenge is small and fragmented holdings in the agricultural sector. Go to statistics. In 1970-71, the average holding was 2.28 hectares. In 1980-81, it was 1.82 hectares; in 1995-96, it was 1.5 hectares; and now, in 2015-16, it is about 1 hectare. The perusal of the statistical data reveals that the land holdings are coming down. Therefore, some sort of policy, like pooling of the farming land among the farmers has to be worked out by the Government.

Then, the next point is, seeds. The National/State Seeds Corporations have to be strengthened so that good, high yielding seeds can be supplied to the farmers so that the cost of production of agriculture could come down.

The next point is irrigation, and I feel further fillip is needed to take up irrigation project under PM Sinchai Yojana. I will conclude after making one or two points. I urge the Government to remove the intermediaries, to look at the defective weights and scales, and there is also need to push unity among the farmers' community to make e-NAM successful.

In conclusion, Sir, I urge the hon. Agriculture Minister to address the issues raised by me and act in a pro-active manner. Sir, as far as doubling of income of farmers is concerned, even today I remember. The Finance Minister, while presenting the Budget

in 2017, had given a categorical assurance to this august House that the income of farmers would be doubled in the next five years, that is, by 2022. I strongly urge the hon. Agriculture Minister as also the Finance Minister to honour the promise that has been made in this august House so that the justice is rendered to the farmers. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri G.V.L. Narasimha Rao.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity. इस देश में व्यवसाय के एग्रीकल्चर के नाम पर बहुत राजनीति होती है। ऋण माफी का promise किया जाता है, लेकिन उस promise को पूरा नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जो सभी किसानों के लिए हैं। कुछ स्कीम्स को इसलिए लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका श्रेय केन्द्र सरकार को जा सकता है, यह मैं मानता हूं। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा यह हिन्दी में पहला भाषण है, अगर संभव हो, तो इसको maiden speech के रूप में लिया जाए। मेरी पहली स्पीच के लिए मुझे maiden speech का status नहीं मिला था, इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वर्ष 2006-07 में सौंपी गई। उस कमीशन की जो रिकमंडेशंस थीं, उनको बहुत लंबे समय तक, हमारी सरकार के आने तक शायद उस रिपोर्ट को किसी ने ध्यान से पढ़ा भी नहीं और किसानों की cost of cultivation के ऊपर कम से कम से उनको 50 परसेंट मुनाफा देने का जो हमारा formula है, स्वामीनाथन जी का पहला सुझाव यही था। आप यदि फैमिली की imputed labour, land cost वह सब देखेंगे, यदि वह सब include करेंगे, तो मैं मानता हूं कि यहां के food prices जो हैं, वे दोगुने, तिगुने हो जाएंगे। इसलिए हमें किसानों को न्याय देना होगा और साथ ही साथ उसका food prices पर क्या असर पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। मैं कुछ फिगर्स आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि किस प्रकार से किसानों को इस इम्प्लिमेंटेशन के तहत लाभ हुआ है? पहले मुझे लगा था कि शायद मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़े कागज़ देखने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 'किसान सम्मान निधि' के बारे में आज सुबह ही कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया था। लगभग चार करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया। पहली जो किश्त है, वह चार करोड़ चौदह लाख लोगों को दी गई। इसमें सबसे कम संख्या-छोटे प्रदेश को छोड़कर, union territories को छोड़कर, जो बड़े प्रदेश हैं, जिनको हम बड़े प्रदेशों में गिनते हैं, सबसे कम मध्य प्रदेश में दी गयी। वहां केवल 9,300 किसानों को यह लाभ दिया गया। मध्य प्रदेश बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। मैं मानता हूं कि इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक सोच रही है। एक तरह से उस सरकार ने जो promises किए हैं, शायद वे उनको पूरा करने में साकार नहीं हुए, लेकिन केन्द्र

[Shri G.V.L. Narasimha Rao]

सरकार की जो 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' है, वह पूरी 100 प्रतिशत सहायता है, वह केवल केन्द्र सरकार की निधि से आती है। इसमें प्रदेश की सरकार को कोई योगदान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी स्कीम को भी implement न करना, मैं मानता हूं कि यह किसानों के साथ बड़े अन्याय जैसी स्थिति है। यहां second installment कुछ भी नहीं दिया गया - मंत्री जी जब जवाब देंगे तो शायद इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह का अन्याय करना बहुत बड़ी गलती होगी। इसी तरह से 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत लोगों ने कई तरह की समस्याएं देखी हैं। मेरे प्रदेश में, मेरे जिले में हजारों की संख्या में किसानों ने 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के तहत अपना contribution दिया, उन्होंने premium pay किया, केन्द्र सरकार ने अपना contribution किया, लेकिन जब उस फसल का नुकसान हुआ, जब किसान उनसे पेमेंट की मांग कर रहे हैं तो insurance agencies, insurance companies यह कह रही हैं कि हम पेमेंट नहीं दे सकते क्योंकि प्रदेश की सरकार ने अपना contribution नहीं दिया था। मैं मानता हूं, यह बड़ा अन्याय है - किसानों के साथ अन्याय है क्योंकि किसान अपना share दे रहे हैं, अपना contribution, अपना premium pay कर रहे हैं, केन्द्र सरकार अपना contribution दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण किसान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा PM-AASHA स्कीम है। महोदय, पहले केवल चावल और गेहूं का procurement केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा होता था, लेकिन पिछले पांच साल में, मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में इसमें एक बड़ा effort किया गया और बड़े पैमाने पर, लगभग 30 हज़ार करोड़ से ज्यादा रकम के किसानों के उत्पाद, उनके production को खरीदा गया, जिसके कारण कई किसानों को लाभ मिला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब समाप्त कीजिए।

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव: सर, ऐसे कई उदाहरण हैं - शायद यह मंत्री जी की जानकारी में होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं...

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन): सर, यह जो टाइम minus 12 दिखा रहे हैं, वह mover को जोड़कर है। Mover ने 20 मिनट लिए हैं, उसे आप बीजेपी के टाइम में मत जोड़िए। बीजेपी के अलग से 30 मिनट हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपके चीफ व्हिप ने दो speakers withdraw किए हैं और इन्हें मैंने रखा है।

श्री वी.मुरलीधरन: समय कम कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): फिर हम साढ़े चार बजे खत्म नहीं कर पाएंगे।

श्री वी.मुरलीधरन: थोड़ा सा हम देख लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मुझे discuss करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे साढ़े चार बजे खत्म करना है। आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी.वी.एल.नरसिहा राव: ठीक है। सर, कुछ crops का procurement होता है, उसकी reimbursement के लिए PM-AASHA जो स्कीम है, उसमें तीन अलग-अलग तरीके से प्रदेशों को या किसानों को लाभ दिया जाता है। उसमें यदि प्रदेश की सरकार procurement करती है, तो मार्किट रेट से जितने अधिक रेट पर प्रदेश सरकार खरीद रही है,वह पैसा केन्द्र सरकार उसे reimburse करती है। यह एक बड़ी स्कीम है। इसके तहत कई प्रदेशों में कई तरह के crops procure किए गए और पैसा केन्द्र सरकार से लिया गया, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें यह देखा गया कि जो अधिक दाम है, जो MSP है, वह किसानों को नहीं मिल रहा है - किसान सस्ते रेट पर मार्किट में बेच रहे हैं और middleman उसे खरीदकर किसानों के नाम पर पूरा पैसा लूट रहे हैं। मेरे विचार से ऐसे कई scams आपको दिखायी देंगे। मैंने एक-एक प्रदेश में देखा है कि जो किसान ही नहीं हैं, उनसे सौ क्विंटल, पांच सौ क्विंटल, पांच मीट्रिक टन खरीदा गया। इस तरह से जो केन्द्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ किसान तक पहुंचे, इसके लिए केन्द्र सरकार किस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है, मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में भी सुनना चाहूंगा। केन्द्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए। कई योजनाएं लाई हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ भी हुआ है। लेकिन कुछ जगह इसका गलत उपयोग भी हुआ है, इसलिए मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इन विषयों पर ध्यान देकर किसान को लाभ देने का काम करें, धन्यवाद।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विजय पाल सिंह तोमर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है। ऐसे समय में जब हम यहां पर किसानों की चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, किसानों के सबसे अग्रणी नेता, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। लेकिन आज 72 साल हो गए और हालत यह है कि किसानों की तकलीफों और पीड़ा का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जा रहा है। मान्यवर, यह सबके लिए चिंता का विषय है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, 'जय जवान, जय किसान ' और जब देश में अन्न का संकट आया, तो उन्होंने पूरे देश में एक दिन का उपवास रखने के लिए

[श्री संजय सिंह]

आह्वाहन किया। लोगों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने उनके इस आह्वाहन पर उपवास रखा कि देश में अन्न का संकट कम हो सके। किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, भंडारों को भरा, देश में अन्न की समस्या को खत्म किया। आज के हालात में, मुझे एक कवि की लाइनें याद आ रही हैं कि

'झील पर पानी बरसता है हमारे देश में,
खेत पानी को तरसता है हमारे देश में,
राजनेता, हाकिमों और पागलों को छोड़कर
तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में।'

मान्यवर, यह किसान की पीड़ा है, सच्चाई है। यहां आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान चाहूंगा। अजय प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका भी ध्यान चाहूंगा और अशोक बाजपेयी जी बैठे हैं, उनका भी ध्यान चाहूंगा। ये तीनों लोग ज्यादा समझ सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा कम समझ सकते हैं। मैं शिव प्रताप शुक्ल जी से जरूर ध्यान चाहूंगा। हमारे अवधी के एक कवि हुए, रफ़ीक शादानी साहब, उनकी अवधी भाषा में लिखी कुछ लाइनें में पढ़ना चाहूंगा, इन लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगी।

"एसी मा रहे नेता, घामे मा जरी हम,
जलपान करें नेता, भुगतान करी हम।"

मान्यवर, किसानों की यह हालत है। आज अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, देश के गोदामों को किसान तो भर रहा है, लेकिन वह खुद भूख से मर रहा है। वह गरीबी से मर रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसके खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। वह खाद मांगने जाता है, तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। पानी मांगने जाता है, तो लाठियों से पीटा जाता है। गन्ने का दाम मांगने जाता है, तो लाठियों से पीटा जाता है। आलू का दाम मांगने जाता है, तो लाठियों से पीटा जाता है। प्याज का दाम मांगने जाता है, तो लाठियों से पीटा जाता है और अपनी जमीन का मुआवजा मांगने जाता है, तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। यह किसानों की सच्चाई है। इसी दिल्ली के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गन्ने के किसान अपने गन्ने के हजारों करोड़ रुपया बकाया मांगने के लिए आए थे, उनको पीटकर लहू-लुहान कर दिया गया। आज यह सब कुछ इस देश के लिए हो रहा है और किसानों की जमीन किस-किस के लिए इस्तेमाल हो रही है? जिसको जरूरत होती है, उसको किसान की जमीन दे दी जाती है। हाईवे बनना है - किसान की जमीन - अडाणी को फैक्टरी खोलनी है - किसान की जमीन - अंबानी को फैक्टरी खोलनी है- किसान की जमीन- एयरपोर्ट खोलना है- किसान की जमीन, रेलवे की लाइनें बिछानी हैं -किसान की जमीन , दे दी जाती है। पूरे देश में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण औने-पौने दामों पर कर लिया जाता है।

स्टील प्लांट प्राइवेट कंपनियों को लगाना है, तो किसानों की जमीन ले ली जाती है। हमें याद है कि ओडिशा में वेदांता कंपनी के मामले में आदिवासियों को अपनी जमीन बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। सरकार किसानों की जमीनों को, आदिवासियों की जमीनों को कंपनियों को देने के लिए कोशिश कर रही थी।

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन नीतियों के ऊपर रोक लगाई जाए, तभी देश के किसान का भला हो सकता है। आपने SEZ के नाम पर देश के अंदर ही विदेशी टापू खड़े कर दिए हैं। इस देश के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध तो सबसे ज्यादा स्वदेशी जागरण मंच और आरएसएस के लोगों ने किया। वे बोले विदेशी कम्पनियां इस देश में नहीं आएंगी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में नहीं आएंगी। देश के किसानों की जमीनें ...**(व्यवधान)**...

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, माननीय सदस्य सदन में आरएसएस का नाम ले रहे हैं। इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मैं रिकॉर्ड को चैक कर लूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री नारायण लाल पंचारिया: इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: देश के किसानों की जमीनें ...**(व्यवधान)**... देश के किसानों की जमीनें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई हैं। ...**(व्यवधान)**... बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आप देश के किसानों की जमीनें देने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर आप विदेशी टापू खड़ा कर रहे हैं। एसईजेड के नाम पर आपने किसानों की जमीनें ले लीं और उनका उपयोग नहीं किया। आप उन किसानों की जमीनें वापस क्यों नहीं करते हैं? जब एक कानून है, एक नियम है कि अगर पाँच साल तक जमीन आप जिस उपयोग के लिए लेते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो वह जमीन उनको वापस की जाएगी, तो आप उनको जमीन क्यों नहीं वापस करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): संजय सिंह जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, नौ मिनट का समय है। हम अदर्स में हैं, तब भी आप टाइम नहीं देंगे, मान्यवर, नौ मिनट तो हमारा समय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, नौ मिनट का समय है। हम अदर्स में हैं। मान्यवर, नौ मिनट का समय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): यहां पर नहीं है। वह गलत दिखाया है।

श्री संजय सिंह: सर, सही लिखा है। मैं देखकर आया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। मान्यवर, एक किसान सम्मान योजना की बात बार-बार हुई। किसान सम्मान योजना, 72 साल की आज़ादी के बाद, साल के 6,000 रुपये और साल के 6,000 रुपये का मतलब किसान को प्रतिदिन आप 17 रुपये दे रहे हैं। दिल्ली में साफ पीने के पानी की बोतल खरीदते हैं, तो वह 20 रुपये की खरीदते हैं और किसान को 72 साल के बाद उसके खाते में 17 रुपये डालकर आप किसान सम्मान योजना की बात कर रहे हैं | मान्यवर, यह किसानों के लिए सम्मान की योजना नहीं है। आप उनकी फसल का डेढ़ गुना दाम दीजिए, उनको समय पर सस्ती खाद दीजिए, उनको सस्ते में डीजल दीजिए, उनको पानी की सुविधा दीजिए। आपसे किसान कटोरा फैलाकर भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि वह इतना उत्पादन कर देगा कि अपना जीवन खुद से वह चला सकता है, उसको आपके सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, आलू पैदा करने वाले किसान - फर्रूखाबाद, एटा, इटावा की जो बेल्ट है, उसमें आलू की खूब पैदावार होती है, यहां पर हरनाथ यादव जी बैठे हैं। उस बेल्ट में किसान आलू पैदा करते हैं और जब उनकी पैदावार को खरीदा नहीं जाता, 50 पैसे, एक रुपये किलो में जब वे अपना आलू बेचने के लिए मजबूर होते हैं, कई बार जब खरीद नहीं होती है, तो वे अपने आलू को गोदामों में रखते हैं, फिर जब वह आलू बिकता नहीं है, तो किसान आलू को खेतों में और सड़कों पर फेंक कर नष्ट कर देते हैं। वे आलू को नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं, जब टमाटर का दाम नहीं मिलता है, तो वे टमाटर को भी नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। किसान प्याज पैदा करते हैं, जब उसका दाम नहीं मिलता है, तो वे उसे नष्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। मान्यवर, हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है कि जब किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिला, तो किसानों ने अपने गन्ने की फसल को खेतों में जलाने का काम किया है और श्री विजय पाल सिंह तोमर जी इसके गवाह हैं और वे इस बात को जानते हैं। इस देश में किसानों की इस प्रकार की हालत है। सीमा पर जवान मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है और हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी फसल का दाम देने की एक स्पष्ट नीति आप बनाइए। आप किसानों को समर्थन मूल्य देने की एक स्पष्ट नीति बनाइए, जिससे कि किसानों को उनके उत्पादन का समय पर समर्थन मूल्य मिल सके। गन्ना किसानों का प्राइवेट चीनी मिलों के ऊपर हजारों करोड़ रुपया बकाया है। आप यहां से पैसा प्राइवेट चीनी मिलों को दे देते हैं और वह पैसा किसानों तक नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर फसल बरबादी का मुआवजा हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा 50 हजार रुपये हेक्टेयर श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया और दिल्ली में हमने 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद के लिए सरकार के बजट

में योजना बनाई है। हमने फैसला लिया है कि किसानों से गेहूं 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। दिल्ली के अंदर जो किसान हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए)*

सर, अंत में, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपा करके किसानों को भंडारण की, किसानों की पैदावार की खरीद की, किसानों की जमीन के उचित मुआवजे की, किसानों के विवादों को सही समय पर निपटारे की एक सार्थक योजना सामने लेकर आइए। पूरे देश का किसान प्रतीक्षा कर रहा है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है, इस सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि 2019 में जितने प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार आई है, वह किसानों के लिए क्या करेगी? आने वाले दिनों में आप कुछ बेहतर इस देश के किसानों के लिए करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, मैं श्री विजय पाल सिंह तोमर के सारे प्रस्तावों का ह्रदय से समर्थन करता हूँ।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आज इस सदन में आदरणीय विजय पाल सिंह तोमर जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उस संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं संकल्प की भावना के साथ, उसके एक-एक शब्द के साथ, अपने को पूरी तरह से अपने सम्बद्ध पाता हूं।

उपसभापति महोदय, जब हम भारत भूमि के बारे में विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत भूमि को ईश्वर ने बड़ी फुर्सत में बनाया है, क्या नहीं है हमारे भारत में? हमारे भारत में गंगा-यमुना का उपजाऊ मैदान है, बारहमासी नदियां हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, तरह-तरह के फल-पफूल हैं, वृक्ष हैं और वनस्पतियां हैं। खेती की दृष्टि से भारत भूमि बड़ी आदर्श भूमि है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारा भारत गरीब है और हमारे यहां की कृषि पिछड़ी हुई है। यदि हम इसका गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करें और विचार करें कि आखिर यह स्थिति क्यों है, तो इसका उत्तर हमें इतिहास में मिलेगा।

महोदय, पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस भूमि को पदाक्रान्त किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों के पश्चात् अंग्रेजों ने इस भारत भूमि को लूटा-खसोटा। अगस्त, 1947 में जब आजादी मिली, तो यह उम्मीद बंधी थी कि अब भारत के दिन अच्छे आएंगे, भारत खुशहाल होगा और भारत प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी। निराशा इसलिए हाथ लगी, क्योंकि अंग्रेज चले गए, रंग बदल गया, लेकिन आचार, विचार और व्यवहार सब वही रहा। देश के जो शासक थे, उनकी जो शासन पद्धति थी, उनकी जो प्राथमिकता थी, वे अंग्रेजों की ही प्राथमिकता के अनुसार काम करते रहे। इसलिए जितनी तेजी से कृषि के क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए थी, जितनी तेजी से कृषि के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए था, वह काम नहीं हुआ। इसीलिए दिनोंदिन हमारे देश में कृषि क्षेत्र का रकबा घटता गया, दिनोंदिन कृषि कार्य में लगे हुए लोग, अन्य कार्यों में प्रवृत्त होने लगे।

[श्री अजय प्रताप सिंह]

महोदय, विजय पाल सिंह तोमर जी ने अपने संकल्प में एक बात कही है कि किसानों को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनकी भावना यह है कि देश में किसान का जो सम्मान घटा और उसका जो मान घटा, उसकी बहाली होनी चाहिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत प्रचलित थी और कहावतें लोक जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। लोग कहते थे कि कृषि उत्तम, व्यापार मध्यम और निकृष्ट चाकरी, यानी नौकरी, लेकिन आज जब हम समाज में जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि यह क्रम उलट गया है। अगर कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए निकलता है, तो अब वह पहले किसान को नहीं ढूंढ़ता है। सबसे पहले वह ढूंढ़ता है कि कोई नौकरीपेशा व्यक्ति मिल जाए और यदि नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं मिलता, तो व्यापार के कार्य में लगे हुए किसी व्यक्ति को अपनी बेटी का हाथ देने का प्रयास करता है और अन्त में किसान की ओर मुड़कर देखता है। किसान का जो यह सम्मान घटा है, वह विगत 60-70 वर्षो में कृषि के क्षेत्र में जो नीतियां रही हैं, उनके कारण घटा है।

महोदय, मुझे अच्छे तरीके से याद है जब वर्ष 2004 में हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पूर्व जो सरकार काम कर रही थी, उस दौर में बड़े पैमाने पर शिक्षाकर्मियों की भर्तियां हुईं और शिक्षाकर्मियों की भर्ती में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि बहुत सारे किसानों ने अपनी एक एकड़, दो एकड़ और पांच-पांच एकड़ तक जमीन बेचकर शिक्षाकर्मी की नौकरी, जिसमें उस समय 500 रुपए प्रति माह वेतन मिला करता था, उसे प्राप्त करने की चेष्टा की और उसे प्राप्त किया। उसका कारण यह था कि किसानों को लगता था कि भले ही हमारे पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ या 100 एकड़ जमीन है, लेकिन उस जमीन के मत्थे परिवार का पालन-पोषण नहीं हो सकता और उस जमीन के बल पर हम अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं।

अपने दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए किसान उस जमीन को बेचने के लिए तैयार था और किसी भी तरीके से वह शिक्षाकर्मी की, पंचायतकर्मी की, रोजगार सहायक जैसी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था। इसीलिए, आदरणीय विजय पाल सिंह जी ने जो यह बात कही है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तब उनको यह पता होगा कि भारत रत्न किन पैमानों के आधार पर मिलता है, कैसे मिलता है। आप सभी को यह अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं उनकी भावना से जरूर सहमत हूं कि किसान का सम्मान इस देश में बहाल होना चाहिए। अगर हम कृषि के संदर्भ में विचार करें कि कृषि को प्रोत्साहित करना है, तो मेरी नजर में यदि तीन-चार काम कर दिए जाएंगे, तो कृषि के क्षेत्र में हमारे किसानों के पास इतनी सामर्थ्य है कि वे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अजय प्रताप सिंह जी, आपकी पार्टी से बोलने वाले एक और स्पीकर हैं। उनके लिए तीन मिनट समय का नियम है, इसलिए आप अपनी स्पीच समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री अजय प्रताप सिंह: अगर बुनियादी रूप से कृषि के क्षेत्र में तीन-चार चीजें कर दी जाएं, तो हमारे देश का किसान इतना समर्थ है कि वह न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है, न केवल इस देश के लिए पर्याप्त अन्न का उत्पादन कर सकता है, बल्कि इतने अन्न का उत्पादन कर सकता है कि हम विश्व का पेट भरने में भी सक्षम हैं।

यदि उसके लिए तीन-चार चीजों की व्यवस्था हो जाएगी, तो अच्छा हो जाएगा। जैसे एक तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, पर्याप्त बिजली मिल जाए, समय पर खाद और बीज मिल जाएं, सस्ती खाद और बीज मिल जाए और जो कृषि उपकरण हैं, यदि उन पर भी उसको पर्याप्त सब्सिडी मिल जाए, तो अच्छा हो जाएगा। इसके साथ-साथ ही उसका जो परिश्रम है, यदि उसके परिश्रम का सही मूल्यांकन हो जाए, सही मूल्यांकन से मेरा तात्पर्य है कि जो उसकी फसल पैदा हो रही है, उसे उसका सही मूल्य मिल जाए, तो बहुत अच्छा होगा। अगर उसके लिए इन तीन-चार बुनियादी बातों की व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारे किसान में इतनी सामर्थ्य है कि वह इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है।

मैं एक अंतिम बात कहकर आपके साथ एक रोचक तथ्य साझा करना चाहता हूं कि कृषि में, विशेष रूप से भारत की कृषि में कितनी ताकत है? अभी विगत दिनों में जो राजनीतिक परिणाम आए हैं, जो विभिन्न विधान सभाओं के परिणाम आए हैं, लोक सभा के परिणाम आए हैं, उनमें से एक रोचक तथ्य यह सामने निकलकर आया है कि जिन-जिन प्रदेशों में कृषि की विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक रही है, उन-उन प्रदेशों में सरकारें लौट कर आई हैं। वह चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जिन प्रदेशों में कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से कम रही है, 10, 12, 8, 3 या 4 प्रतिशत रही हो, कई-कई प्रदेशों में तो नकारात्मक भी रही है, उन सरकारों के दोबारा लौटने की रोजी नहीं हुई है। इसीलिए आप भारत में कृषि की ताकत को समझ सकते हैं, कृषि के महत्व को समझ सकते हैं। मैं विजय पाल सिंह द्वारा लाए गए इस संकल्प के एक-एक शब्द का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सदन उनकी भावनाओं का समर्थन करेगा और इस संदर्भ में समय आने पर उपयुक्त निर्णय लेगा। आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर चर्चा हो रही है। इस विषय पर और भी अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं, पर समय की सीमा तय है। आपकी पार्टी से एक स्पीकर और है। चूंकि पार्टी का समय एक मिनट रह गया है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करें, क्योंकि इसके बाद मंत्री जी का रिप्लाई होना है, फिर मूवर अपनी रिप्लाई देंगे, इसलिए हमारी कोशिश यह हो कि यह साढ़े चार तक खत्म करना है। अगर यह समय पर खत्म हो जाता है, तो हम दूसरा रिजॉल्यूशन भी ले सकते हैं, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि हम इसके अनुसार आगे चलें श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर, आप बोलिए।

श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर (राजस्थान): उपसभाषति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं विजय पाल सिंह तोमर जी के इस रिजॉल्यूशन को समर्थन देता हूं। हमारी जो प्रेजेन्ट सरकार है, उन्होंने किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए हैं। काफी चीजें, मैं जिनके बारे में बोलना चाहता था, पर उन्हें मुझ से पहले के प्रवक्ता ने बोल दिया है। आखिर में बोलने का मौका मिलता है, इसलिए यह एक प्रॉब्लम जरूर रहती है।

महोदय, भारत में और हमारे कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल की आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है। हम क्लाइमेट चेंज का कुछ न कुछ इफेक्ट रोज देखते हैं, इसलिए हमें कृषि में और बहुत से आधुनिक यंत्र जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिस्टम डालने पड़ेंगे। मैं इसके ऊपर जरूर जोर दूंगा, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिस्टम ही भारत के फ्यूचर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो पुराना सिस्टम था, जिसमें पूरे खेत को पानी से भरा जाता था, पिलाया जाता था, अगर हम उस सिस्टम को. change करेंगे, तो काफी पानी की बचत हो सकती है।

दूसरा, हमारे गाँवों में BSNL या mobile connectivity को हमें और बेहतर करना है। वह भी किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं दक्षिणी राजस्थान से आता हूँ। वहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है, उसमें काफी छोटे-बड़े पहाड़ हैं, जिनकी वजह से वहाँ | mobile connectivity ठीक नहीं रहती है। इसलिए आप उस पर जरूर ध्यान दें।

सर, जैसा तोमर जी ने कहा कि GST भी कम होना चाहिए, यह ज़ीरो या 5 टका से ज्यादा नहीं होना चाहिए | हमें गाँवों में storage and processing facilities और cold chain को बढ़ावा देना चाहिए। भले हम land pools बनाएँ, land banks बनाएँ और कंपनीज़ आकर किसानों की जो जमीनें हैं, उनको या तो किराया दे दें या वहीं processing करें, तो उनकी जमीन का भी use हो जाएगा और उनको वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी।

सर, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हरेक पीढ़ी के साथ हमारी जमीन बँट जाती है। बँटते-बँटते जो fragmentation of holdings होती है, तो जमीन इतनी छोटी हो जाती है कि जो युवा पीढ़ी है, वह कहती है कि उसे खेती करने से कोई मतलब नहीं है। फिर वे नौकरी के लिए बड़े शहरों में जाते हैं और गाँवों में जो जमीनें होती हैं, वे अपने माता-पिता को बोलते हैं कि आप इन पर जितना हो सके, उतनी खेती करिए, जिससे जितना हो सके, घर में अनाज आ जाए।

सर, आजकल गवर्नमेंट green house को बढ़ावा दे रही है। इसके ऊपर भी मैं बहुत जोर देना चाहता हूँ कि green house एक बहुत अच्छी स्कीम है। आजकल सब जगह गाँवों में नीलगाय और आवारा पशुओं का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। Green house होने से

इनसे बचाव होगा। Vagaries, मॉनसून या पानी की कमी या ज्यादा गर्मी या ठंड, green house से इनसे भी बचाव होगा। इसमें हम बहुत अच्छे-अच्छे आधुनिक यंत्र भी use कर सकते हैं। जैसे floriculture है, fruits and vegetables हैं, हम इनको भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए मैं green house के ऊपर जरूर जोर दूँगा।

सर, काफी किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। मैं इसके लिए सरकार से आग्रह करूँगा कि वह उनकी encouragement के लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाए। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि हम किसान सम्मान निधि के तहत जो 6 हजार रुपए रहे हैं, उसको बढ़ा कर कम से कम 10 से 12 हजार रुपए करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद हर्षवर्धन जी। पहले माननीय मंत्री जी बोलेंगे, इसके बाद mover of the Resolution का reply होगा। आप समय देख रहे हैं कि इसको दो घंटे के अन्दर पूरा होना था, पर समय के तहत यह कैसे संभव होगा, आप देखें। माननीय मंत्री जी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रुपाला): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय सांसद विजय पाल सिंह तोमर जी का धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। किसी ने बताया कि उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। अच्छा लगता है कि कोई हमारा ही आदमी हमारी सरकार के बारे में, स्थिति के बारे में कोई समीक्षा करता है, तो उसको इस विशेषण का लाभ मिलता है। मगर यह बात भी सही है कि विजय पाल सिंह तोमर साहब ने बहुत लंबे अर्से तक हमारी पार्टी के किसान विंग का नेतृत्व किया है। इसके चलते उनका यह स्वभाव अभी भी बरकरार है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, मैं इस सदन के सभी सदस्यों के नामों का ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, जब-जब कोई बिन्दु आएगा, तो मैं उनका ज़िक्र करूँगा, क्योंकि मुझे इतना समय लेना उचित नहीं लग रहा है। फिर भी जिन सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं को उजागर करने की कोशिश की और हालत को बयान करने का भी प्रयास हुआ, तो मैं इस बात के साथ शत-प्रतिशत सहमत हूँ कि जो स्थिति किसानों की उनके उत्पादन को लेकर है, उनकी जमीन को लेकर है, उनके उत्पादों के भाव और उनकी आमदनी को लेकर है, यह सही है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस मंजिल तक हम पहुँचे, उसमें कितने मुकाम आये थे और किस मुकाम पर क्या हुआ।

बहन छाया जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी योजनाओं का उल्लेख करके, इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उनकी सरकार ने कोई अच्छे स्टेप्स लिये हैं, उनका भी वर्णन उन्होंने किया। मैं यहाँ आग्रह करता हूँ कि जिन राज्यों में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अच्छे प्रयोग हुए हैं, बाकी सभी राज्य उनका अनुसरण करें और इसे करने में सबको कोई ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह किसकी सरकार ने किया। आप करिए। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार की ओर से ऐसे बिन्दुओं को इकट्ठा करके सभी

[श्री परशोत्तम रुपाला]

प्रांतों के संज्ञान में वे आयें, ऐसा प्रयास भी करूँगा। इसमें ऐसा नहीं कि किसकी सरकार ने किया। हमारे प्रधान मंत्री का एक बहुत पुराना वाक्य मुझे याद आ रहा है:

"माना कि अंधेरा बहुत घना है,
मगर दीया जलाना कहाँ मना है!"

मुझे प्रसन्न जी की एक बात का उल्लेख जरूर करने का मन है और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ इश्यू को उठाया था, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में कहना चाहिए। उन्होंने क्रेडिट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु को उठाया। उन्होंने यह भी बताया कि हमारा क्रेडिट 13.5 लाख करोड़ रुपया है। जब हम सरकार में आये थे, तब यह ऋण प्रवाह 8 लाख करोड़ का था। अभी यह 13.5 और 14 के करीब पहुँच रहा है। यानी ऋण प्रवाह को करीब डबल बढ़ाने का काम किया है। यह बधाई ठीक है, दोस्तो, मगर फिर भी प्रसन्न जी की जो बात है कि हम 4 करोड़ round about मानते हैं, उसमें से 6.5 करोड़ किसान ही इस संस्थागत ऋण से ऋण प्राप्त कर सके हैं और बहुत बड़ा तबका है, जो अभी बाकी है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मुझे फख्र है कि हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने यह "किसान क्रेडिट कार्ड" को बड़े पैमाने पर लागू कराने का एक मिशन मोड पर कार्यक्रम दिया है। जैसे, आप सब के मन में "जन-धन योजना" स्मरण में होगी। यह बात जब चलती थी, तब लोग कहते थे कि यह क्या है, इस अकाउंट को खुलवाने से क्या होगा, इस अकाउंट में कौन पैसा देगा, ऐसे अकाउंट कौन खोल देगा? मगर दुनिया चकित हो गयी, जब 30 करोड़ लोगों ने अकाउंट खुलवाये। प्रसन्न जी, इसका दूसरा मतलब यह होता था कि इस देश के 30 करोड़ लोग ऐसे थे, जिन्होंने बैंक का दरवाजा देखा नहीं था। तो मैं यहाँ राजकीय अवलोकन करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ हूँ। मुझे इसमें रुचि भी नहीं है और खास करके जब किसानों की बात मैं करता हूँ, तो राजकीय अवलोकन करने की जरूरत नहीं है। वह मैं मैदान में करता हूँ, यह अहमद भाई को पता है और वहाँ मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। उसे इधर करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं सदन के सामने यह बात तो जरूर कर सकता हूँ कि ये 30 करोड़ लोग, जो अभी तक बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुँचे थे, क्या वे मोदी जी की राह देखते थे, क्या उनको मोदी जी का इंतज़ार था? इस बीच में यह हो सकता था। अब हमें इसमें नहीं जाना है। अब हमें इसमें करना है। इसीलिए मैंने प्रश्न काल में अपने एक उत्तर में भी हमारे सभी सांसदों को एक अपील की थी कि यह किसान क्रेडिट कार्ड की जो बाबत है, वह एक ऐसी बाबत है, जो अभी करीब 7 करोड़ मान लीजिए, इतने किसान जो institutional loan से बाहर हैं, उनको अन्दर लाने के लिए, उनके लिए सिर्फ तीन ही दस्तावेजों की आवश्यकता है। एक अपने लैंड रिकॉर्ड का डॉक्युमेंट, अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड से लेकर अपना कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड हो और अपना नाम-पता लेकर वह

बैंक में चला जाये। हम बैंकों को यह कहने वाले हैं कि इस किसान को 15 दिनों के अन्दर-अन्दर किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाये। जन-धन योजना में बैंक अकाउंट खोलने का जो प्रयास हुआ था, इसका नतीजा अब हम सबों के सामने है। वैसा ही drive किसान क्रेडिट कार्ड का इस देश में चलने वाला है। मैं इस सदन के माध्यम से यहां बैठे सभी साथियों को ही नहीं ,जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग देश में किसान-हितैषी हैं, उन सबका आह्वान करता हूं कि कृपया सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने में सहायता करें। जो जागरूक हैं, वे किसान को ले जाकर इतना काम करा दें। यदि ऐसा हो जाएगा तो जो किसान institutional ऋण से बाहर है, फिर वह विषचक्र में फंस जाता है, तब उसे बचाया जा सकता है। ऐसा बड़ा उपक्रम हमारी सरकार ने लेने का काम किया है। वर्मा जी पहले बाहर चले गए थे, अभी आ गए हैं। मुझे उनके सुझाव का जिक्र भी करना है। ...**(व्यवधान)**... यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिसे हम करके रहेंगे।

किसानों से संबंधित कई योजनाओं में एक फसल बीमा योजना है, जिसके बारे में भी मैं सदन को बताना चाहूंगा, मगर दो गुनी आय वाला जो मसला है ...**(व्यवधान)**... मैं समझा नहीं। ...**व्यवधान**...

श्री उपसभापति: कृपया बैठकर चर्चा न करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री परशोत्तम रुपाला: किसानों की आय दोगुना करने का जो विषय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा था, वह चुनावी नारा नहीं था। चुनाव के बाद,जब देश के प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सम्भाली, उसके बाद सरकार का इस रास्ते पर काम करने का नारा है। यह सरकार के काम करने की दिशा है कि सरकार किस दिशा में काम करेगी। यह सरकार इस दिशा में काम करेगी — यह उसका स्लोगन है। इसे साकार करने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है कि किसानों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और प्रोडक्टिविटी के सही दाम कैसे मिलें? यहां सामने से हमारे एक-दो मित्रों ने कहा था, शायद संजय सिंह जी बोल रहे थे कि खाद लेने जाएं तो लाठियां खानी पड़ती थीं, कुछ और लेने जाएं तो ऐसा होता था। दो साल से मैं इस विभाग को देख रहा हूं, लेकिन एक भी प्रांत से, कहीं से भी खाद के मामले में किसी भी किसान की कोई complaint मुझे नहीं मिली। ये सब पुरानी चीजें हैं, जिन्हें याद करने से दुख होता है। ऐसा भी होता था, बहन छाया वर्मा जी, इसमें कोई बड़ी कामगीरि नहीं करनी थी। कभी-कभी आप अपने बुजुर्गों को पूछते रहिए। नीम-कोटेड यूरिया आपके कालखंड में हो गया था, मगर उसे implement करने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। हमारी सरकार आने के बाद इसका संशोधन नहीं हुआ था। जब मोदी जी के सामने बात आई कि क्या करने से जो यूरिया bypass हो जाता है, industries में चला जाता है, इतनी बड़ी सबसिडी के बाद ,उसका दुरुपयोग होता था, जब उसे रोकने के बारे में विचार किया गया तो अधिकारियों ने बताया कि इसे नीम-कोटेड करने का हुक्म कर दिया जाए, तो संभव है। मोदी जी ने आदेश कर दिया, सरकार

[श्री परशोत्तम रुपाला]

ने उस पर अमल कर दिया, नीम-कोटेड यूरिया हो गया और जो यूरिया पहले बाईपास हो जाता था, industries में चला जाता था, नीम-कोटेड होने की वजह से अब बाईपास नहीं हो पाता। अब यूरिया सरप्लस है और पूरे देश में किसानों को बहुत सरलता से मिल रहा है। अब लाठी वाला issue खत्म हो गया। कहीं ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलतीं। सर, यह एक कोशिश है। मैं आज भी ये सारी बातें करने के बाद भी कह रहा हूँ कि अभी सब कुछ हो नहीं गया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मगर दिशा सही है, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नीम कोटेड यूरिया का किया, ऐसे ही हमने Soil Health Card की एक ड्राइव ली। जब आप सभी अपने राज्य की सरकार की बात करते हैं, तब मुझे भी मेरे राज्य की बात करना याद आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Soil Health Card की ड्राइव नरेन्द्र भाई मोदी जी ने as a Chief Minister, गुजरात में शुरू की। वहाँ उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया था, जिसमें कृषि पर एक कार्यक्रम के तहत वे गुजरात के अंदर एक रथ एक महीने तक चलाते थे और लोगों के बीच जाकर सभी अधिकारी एक गाँव में घूमते थे और technology और laboratory में जो कुछ होता था, उसे किसानों के साथ शेयर करते थे। ऐसा एक कार्यक्रम चलाते थे। उसी में यह Soil Health Card आया था। इस गुजरात के कार्यक्रम की स्वामीनाथन जी ने बहुत तारीफ की थी। आपने स्वामीनाथन जी का ज़िक्र किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एमएसपी का निर्णय लिया, इसको लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर एमएसपी का प्राइस डेढ़ गुना करके, एमएसपी को सील करने का एक डिसीज़न लिया, तब खुद स्वामीनाथन जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में साक्षात्कार देकर कहा था कि यह मोदी सरकार ही है, जो मेरे दिए हुए सजेशंस पर अमल कर रही है। यह मेरा कहना नहीं है, खुद स्वामीनाथ जी ने साक्षात्कार में कहा था। उसकी डेट मेरे पास नहीं है, वरना मैं डेट के साथ बताता। यह टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था।

उपसभापति जी, कम लागत और उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं कि हम surplus -- हमारे ही देश के किसान, अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़कर इस साल उत्पादन कर रहे हैं। सर, मानसून में बहुत बदलाव है, क्लाइमेट चेंज का भारी असर हो रहा है, इसके बावजूद भी हमारे देश में अनाज, फल, सब्जी सभी का उत्पादन रिकॉर्ड ऊँचाई पर चल रहा है।

सर, पानी के बारे में एक माननीय सदस्य ने बहुत गंभीरता के साथ उल्लेख किया था कि हम बहुत पानी बहा रहे हैं। यह बात सही है। जितने भी विकासशील देश हैं, जिनकी कृषि की हम सराहना करते रहते हैं, इजरायल वगैरह हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ की कृषि की पद्धति और हमारी कृषि की पद्धति में क्या बड़ा अंतर है। माननीय उपसभापति जी, एक ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वहाँ लोग नाली से पानी

पिलाते ही नहीं है। वहाँ एक-एक खेत में drip and sprinkler से ही irrigation होता है। हमारे किसानों का माइंडसेट है कि उन्हें नाली से पानी चाहिए। जब तक खेत लबालब भरा न रहे, तब तक उसे मजा ही नहीं आता है। एक प्रकार से उनके माइंड में ही ऐसा आ गया है कि उसके खेत में जितना पानी भरा रहेगा, उतना ही अच्छा, पाक होगा। यह किसान की सरासर गलत धारणा है। हमें सभी को किसानों को aware करना होगा। माननीय उपसभापति जी, किसानों को aware करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की ओर से किसानों के लिए फील्ड निदर्शन, किसानों के लिए सेमिनार, किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर बुलाकर मार्गदर्शन किया जाता है और वहाँ उनको इन सारी practices को दिखाने के लिए मॉडल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक गाँव है, मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ हमने समेकित खेती के लिए पूरे गाँव को एक मॉडल बनाकर रखा है, ताकि आसपास के गाँवों के लोग वहाँ जाकर देख सकें कि किस प्रकार से खेती हो सकती है।

उपसभापति जी, बहुत से माननीय सांसदों ने यह भी प्रश्न उपस्थित किया कि fragmentation होते-होते ज़मीनें कहाँ तक जाएंगी? यह बात बिल्कुल सही है। उसका किसानी में हिस्सा होना है, उनकी वही एक मिल्कियत होती है। एक बाप के दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, तो ज़मीन बंटती ही जाएगी और आगे भी बंटती ही जाएगी। अभी तक इसका कोई हल संज्ञान में नहीं आ रहा है। इसका एक ही हल है और वह यह कि इन सभी छोटे-छोटे किसानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अगर किसान साथ मिल जाएं, एक-एक एकड़ वाले सौ किसान इकट्ठे हो जाएं, तो सौ एकड़ का एक टुकड़ा हो सकता है। ऐसी व्यवस्था करने के लिए FPO बनाकर किसान को इस दिशा में काम करने की प्रेरणा देने का काम भी हमारी सरकार की ओर से शुरू हुआ है। इसको हम इकट्ठा करें और इसको इकट्ठा करके हम करें। कई और चीज़ें नवाचार में आई हैं। अपने नॉर्थ-ईस्ट स्टेट के बारे में जब आप सोचते थे, तो वहाँ एग्रीकल्चर नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती थी। वहाँ लोग मानते ही नहीं थे कि वहाँ एग्रीकल्चर होता होगा। वहाँ तो झूम प्रकार की खेती करने का प्रचलन था, जिसमें एक जगह पर एक-दो साल खेती की और फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मैंने आज ही एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि वहाँ किसानों के नाम पर जमीन तक नहीं थी, वहाँ तो कम्युनिटी के नाम पर जमीनें हैं। ऐसे एरियाज़ में उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया गया। मुझे यह कहते हुए फख्र हो रहा है कि देश में सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट होने का यश सिक्किम को मिला, उसी हिली स्टेट को मिला। उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया। आज जो स्थिति है, उसके बारे में यहाँ बैठे दिल्ली के लोगों को पता भी होगा कि यहाँ की मार्केट में यदि सिक्किम की सब्जी है, सिक्किम के फ्रूट्स हैं, तो वे 10 या 20 प्रतिशत ज्यादा दाम पर बिकते हैं। उसके लिए उसे केवल इतना ही बताना है कि यह सिक्किम का है। माननीय उपसभापति जी, यह करने के लिए हमारी सरकार ने वहाँ स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद करने हेतु मिशन मोड पर एक प्रोग्राम शुरू किया है, वहाँ क्लस्टर बेस पर उनको आगे बढ़ाने

[श्री परशोत्तम रुपाला]

का हम काम कर रहे हैं। आज कई राज्यों में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हो रहा है। जिन राज्यों की गणना एग्रीकल्चर में बहुत कम मानी जाती थी, वे राज्य आज एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, फसल बीमा योजना का जिक्र करते-करते मुझे उसमें अभी नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जब यह राफेल आ जाता है, तो कुछ लगता है, तीखा लगता है। यह एक ऐसी चीज़ है, जिसका कहीं कोई लेना-देना नहीं है। इसको राफेल के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, हमारे एक सांसद ने अडाणी और अम्बानी का जिक्र किया। क्या इस देश में केवल अडाणी और अम्बानी, ये दो ही उद्योगपति हैं? हर चीज़ में अडाणी-अम्बानी, अडाणी-अम्बानी! मुझे तो लगता है कि इनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि वे गुजराती हैं और हमारे पीएम गुजराती हैं, इसीलिए उनको जोड़ दिया जाए। क्या बात है? ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: यह गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: ऐसा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भुवनेश्वर कालिता: आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री परशोत्तम रुपाला: आखिर उनका जिक्र क्यों होता है? ...**(व्यवधान)**... मैं बताता हूँ, सर। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: अडाणी को आपने एयरपोर्ट दिए हैं, अडाणी को आपने तमाम सुविधाएँ दी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप अपनी जगह बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री परशोत्तम रुपाला: यदि इसने कुछ गलत काम किया है, तो आप इसके सामने कुछ भी कर सकते हैं न! इस देश के कानून कहाँ हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: गुजरात इस देश का हिस्सा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री परशोत्तम रुपाला: आप इसीलिए इन दो का ही नाम लेते हो। ...**(व्यवधान)**... मेरा यही कहना है कि आप केवल इन दो का ही नाम लेते हो। तीसरा...**(व्यवधान)**... मैं बताता हूँ न! ...**(व्यवधान)**... मुझे राफेल के साथ बताना है। राफेल ने अनिल अम्बानी को काम दिया है। कितने रुपये का? 800 करोड़ रुपये का। अम्बानी के काम का टोटल कांट्रैक्ट 800 करोड़ रुपये का था। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: यहाँ पर अम्बानी पर चर्चा नहीं हो रही है। ...**(व्यवधान)**... आप इस विषय पर बात कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री परशोत्तम रुपाला: यहाँ मुद्दा किसने उपस्थित किया है? ...(**व्यवधान**)... मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: हम सबमें गुजरात के प्रति सम्मान है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: संजय जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री परशोत्तम रुपाला: यहाँ प्रश्न उठाया गया है। ...(**व्यवधान**)... मेरी सरकार के सामने प्रश्न उठाया गया है।...(**व्यवधान**)... मैं इस सरकार का हिस्सा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मेरी सरकार के सामने इस सदन में सवाल उठाया गया है, इस सदन के माननीय सदस्य ने उठाया। जब सवाल उठाना है, तब यह लाजिमी है और जवाब सुनना है, ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: उसमें गुजराती शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? ...(**व्यवधान**)...

श्री परशोत्तम रुपाला: मैं गुजराती हूँ, तो करूँगा न! ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: यह अच्छा नहीं लग रहा। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, देश के लोगों ने प्रधान मंत्री गुजरात का बना दिया और गुजराती होने पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री परशोत्तम रुपाला: मैं आता हूँ न ! ...(**व्यवधान**)... मुझे आप सुनो न! ...(**व्यवधान**)... मुझे इतना क्यों बोलना पड़ा, जरा वह भी सुन लो न। 800 करोड़ रुपये में से आक्षेप कितने का? 30 हज़ार करोड़ रुपया अम्बानी की जेब में डाल दिया। 800 करोड़ रुपये में से 30 हज़ार करोड़ रुपये कैसे डाल देते होंगे? 30 हज़ार करोड़ रुपया अम्बानी! 800 करोड़ रुपये का टोटल कांट्रैक्ट है और राफेल ने इस देश के और 100 लोगों को काम दिया है। अम्बानी ही एक नहीं है, 100 लोगों को काम दिया है। उनमें से अकेला अम्बानी क्यों? अब आप मुझे जवाब दीजिए कि इसका क्या विशेषण ढूंढ़ना है? 100 लोगों को दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: टाटा का भी विरोध किया ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: संजय जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

श्री परशोत्तम रुपाला: यदि 100 लोगों को दिया है ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर, अगर हमने गुजराती शब्द का इस्तेमाल किया हो, तो आप हमारे खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री उपसभापति: संजय जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए।

श्री परशोत्तम रुपाला: अगर 100 लोगों को दिया है ...(**व्यवधान**)... तो इसमें से 99 को transparent और अकेले अम्बानी ने भ्रष्टाचार किया है! ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: आपने गुजराती शब्द का इस्तेमाल किया है।

श्री परशोत्तम रुपाला: इसमें से 99 को transparent way में दिया और अकेले एक केस में भ्रष्टाचार किया है! ...**(व्यवधान)**... किसी के नाम का भी ज़िक्र नहीं है, किसी को मालूम तक नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है, मेरा इतना ही कहना है और कुछ नहीं है, इससे अगर किसी को दुःख हुआ हो, तो मैं तहे-दिल से माफी मांगता हूं। यह दुःख पहुंचाने के लिए नहीं था, मुझे दुख पहुंच रहा था, उसका उबाल था। ...**(व्यवधान)**...

श्री भुवनेश्वर कालिता: सर, तोमर जी को भी कुछ बोलना है, क्या समय हो पाएगा?

श्री परशोत्तम रुपाला: महोदय, क्या पांच मिनट का समय है?

श्री उपसभापति: मैंने शुरू में ही आग्रह किया था कि आपका जवाब होना है और फिर मूवर के मुद्दों को...

श्री परशोत्तम रुपाला: महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि देश के किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु चौतरफा प्रयास करने की एक जबरदस्त शुरुआत नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। उसमें किसान की लागत कैसे कम हो, किसान को उसके दाम कैसे सही मिलें, महोदय, मैं फिगर दे सकता था कि कितनी खरीदी और कितने रुपयों का कितना डिफरेंस है, लेकिन अभी इसमें जाने का मेरे पास समय नहीं है। महोदय, आज़ादी के बाद इस tenure में, जब मेरे देश के उत्कृष्ट लोगों का सम्मान हुआ और मैंने जब उसकी सूची पढ़ी तो उसमें 12 किसान भी थे। इस सदन में बैठते हुए जब हमें यह सौभाग्य देखने और सुनने का मिलता है, तो इसका बड़ा गौरव होता है। मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है, दिशा सही है और मोदी जी का नेतृत्व होने की वजह से मुमकिन है। मैं इतनी बात के साथ विजय पाल सिंह तोमर जी से विनती करता हूं कि आप अपना संकल्प वापस लें।

श्री उपसभापति: इस प्राइवेट मेम्बर resolution के mover विजय पाल सिंह तोमर जी रिप्लाई देंगे।

श्री विजय पाल सिंह तोमर : माननीय उपसभापति महोदय, सभी सम्मानित सदस्यों के विचार आए और मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपके पास बोलने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि इसको फिर हम लोग ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय पाल सिंह तोमर: माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझसे कहा था कि बाद में बोलना है।

5.00 P.M.

श्री उपसभापति: आपने पहले ही पूरा समय ले लिया, पहले ही आपने इस पर लम्बी बात बोली।

श्री विजय पाल सिंह तोमर: उपसभापति महोदय, क्या सिर्फ दो ही मिनट का समय है? मान्यवर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों को...माननीय मोदी जी ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भर बना दो, किसानों ने आत्मनिर्भर बना दिया। हम लोग तिलहन में पीछे जा रहे हैं, आयात कर रहे हैं और मुझे आशा है कि दो साल के अंदर हम लोग तिलहन में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम यहां खाद्यान्न ज़रूरत से ज्यादा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे श्रद्धेय शास्त्री जी ने आह्वान किया था, यहां का किसान अपना काम पूरा कर रहा है। इसमें भी दो राय नहीं हैं कि माननीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, उनकी प्राथमिकता पर किसान हैं और मैंने इस साल बजट देखा है, उससे मुझे यकीन हुआ है कि 1,51,518 करोड़ रुपये का बजट आज़ादी के बाद से कृषि को कभी भी नहीं मिला है। इससे मुझे यकीन होता है कि सिंचाई के क्षेत्र में जो 99 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, ताकि 16 हज़ार हैक्टेयर ज़मीन को सिंचित किया जा सके। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बताया है। किसान सम्मान निधि 6 हज़ार रुपये है। मैंने आग्रह किया है, हम स्टेट से भी चाहते हैं कि 6 हज़ार रुपये सालाना वे दें ...75 हज़ार करोड़ रुपये बजट में रखा है, 12 हज़ार करोड़ रुपये के करीब दे दिया गया है, कुल 87 हज़ार करोड़ रुपये का है, मैंने इसे बढ़ाने का आग्रह किया था, मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करता हूं। जितनी योजनाएं हैं और जिस तरह से मैंने पूरा देखा है और माननीय मंत्री जी के आश्वासन को भी सुना है और किसानों के लिए आवश्यकता है, तो देश दुनिया में नम्बर एक तभी बन सकता है, जब किसान समृद्धशाली होगा। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

The Resolution was, be leave, withdrawn.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"in accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Protection of